



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 पौष 1940 (श0)
(सं० पटना 18) पटना, वृहस्पतिवार, 3 जनवरी 2019

वाणिज्य कर विभाग

अधिसूचना
3 जनवरी 2019

एस० ओ० 07..दिनांक. 3 जनवरी 2019—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, यथा :—

1. (1) यह नियमावली बिहार माल और सेवा कर (चौदहवां संशोधन) नियमावली, 2018 कही जा सकेगी।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 के प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 12 में उपनियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“(1क) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में धारा 52 के उपबंधों के अनुसार कर संग्रहण के लिए रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन करने वाला कोई व्यक्ति, जहां उसकी भौतिक उपस्थिति नहीं है, प्ररूप जीएसटी आरईजी-07 में आवेदन के भाग क में राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का नाम उल्लिखित करेगा और उसके भाग ख में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का नाम

उल्लिखित करेगा जिसमें उसके कारबार का मुख्य स्थान अवस्थित है जो भाग क में उल्लिखित राज्य या संघ राज्यक्षेत्र से भिन्न हो सकेगा।"।

3. उक्त नियमों में, नियम 45 के उपनियम (3) में "छुटपुट काम करने वाले से प्राप्त" शब्दों के पश्चात् "या एक छुटपुट काम करने वाले से दूसरे को भेजा गया" शब्दों का लोप किया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 46 के चौथे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार इलैक्ट्रॉनिक बीजक जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।"।

5. उक्त नियमों में नियम 49 के दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार प्रदाय के इलैक्ट्रॉनिक बिल जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।"।

6. उक्त नियमों में नियम 54 के,--

(क) उपनियम (2) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार समेकित कर बीजक या उसके बदले में किसी अन्य दस्तावेज़ जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।"।

(ख) उपनियम (4) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु प्रदायकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर या डिजिटल हस्ताक्षर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के उपबंधों के अनुसार टिकट जारी किए जाने के मामले में अपेक्षित नहीं होंगे।"।

7. उक्त नियमों में नियम 89 के उपनियम (5) के स्पष्टीकरण (ख) में निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"समायोजित कुल आर्वत" और "सुसंगत अवधि" के वही अर्थ होंगे जो उनके उपनियम (4) में हैं।"।

8. उक्त नियमों में, नियम 96 के उपनियम (1) के खंड (क) में "सम्यक् रूप से निर्यात माल फाईल करता है" शब्दों के पश्चात् "प्रस्थान घोषणापत्र या" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

9. उक्त नियमों में, नियम 101 के उपनियम (1) में "वित्तीय वर्ष" शब्दों के पश्चात् "या उसका भाग" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

10. उक्त नियमों नियम 109क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

"109ख. पुनरीक्षण के मामले में व्यक्ति को नोटिस और पुनरीक्षण प्राधिकारी का आदेश-

- (1) जहां धारा 108 के अधीन पुनरीक्षण प्राधिकारी पुनरीक्षण में आदेश पारित करने का विनिश्चय करता है जिससे व्यक्ति के विपरीत रूप से प्रभावित होने की संभावना है, वहां पुनरीक्षण प्राधिकारी उसे प्ररूप जीएसटी आरवीएन-01 में नोटिस देगा और उसे सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करेगा।
- (2) पुनरीक्षण प्राधिकारी धारा 108 की उपधारा (1) के अधीन अपने आदेश के साथ प्ररूप जीएसटी एपीएल-04 स्पष्ट रूप से संपुष्ट मांग की अंतिम रकम दर्शित करते हुए आदेश का सार जारी करेगा।"

11. उक्त नियमों में नियम 138 के उपनियम (1) में स्पष्टीकरण (1) के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"स्पष्टीकरण 1.—इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "हस्तशिल्प माल" का वही अर्थ है जो इसका समय-समय पर यथासंशोधित जो बिहार गजट असाधारण अंक संख्या— 936, दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 द्वारा प्रकाशित वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना संख्या एस०ओ० 262, दिनांक 23 अक्टूबर, 2018 में है।"

12. उक्त नियमों के नियम 138घ के पश्चात्, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

"138इ. प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी देने पर निर्बंधन—नियम 138 के उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति (जिसके अंतर्गत परेषक, परेषिति, मालवाहक, ई-कामर्स प्रचालक या कुरियर अभिकरण भी है) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के संबंध में प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी देने से अनुज्ञात नहीं किया जाएगा चाहे वह प्रदायकर्ता हो या प्राप्त करता जो,--

- (क) धारा 10 के अधीन कर संदाय करने वाला व्यक्ति है, उसने दो लगातार कर अवधियों के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की हैं;या

(ख) खंड (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति है, उसने दो मास की लगातार अवधि के लिए विवरणी प्रस्तुत नहीं की है:

परंतु आयुक्त पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर तथा लिखित में कारण लेखबद्ध किए जाने पर आदेश द्वारा ऐसी शर्तों और निर्बंधनों के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में उक्त जानकारी प्रस्तुत करना आदेश द्वारा अनुज्ञात कर सकेगा:

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यूबी-01 के भाग क में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए ऐसे व्यक्ति के अनुरोध को निरस्त करने वाला कोई आदेश उक्त व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना निरस्त नहीं किया जाएगा:

परंतु यह भी कि केन्द्रीय कर आयुक्त या संघ राज्यक्षेत्र कर आयुक्त द्वारा दी गई या निरस्त की गई अनुज्ञा, यथास्थिति, आयुक्त द्वारा दी गई या निरस्त की गई समझी जाएगी।

स्पष्टीकरण:-- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "आयुक्त" पद से खंड (क) और (ख) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के संबंध में अधिकारिता वाला आयुक्त अभिप्रेत होगा।"

13. उक्त नियमों में, नियम 142 के उपनियम (5) में "धारा 74" शब्दों के पश्चात् "या धारा 75 की उपधारा (12)" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

14. उक्त नियमों में प्ररूप जीएसटी आरएफडी-01 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

"प्ररूप - जीएसटी-आरएफडी-01

[नियम 89(1) देखिए]

प्रतिदाय के लिए आवेदन

(नैमित्तिक या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर की कटौती करने वाला कर का संग्रहण करने वाला, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्ति और अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1.	जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी:	
2.	विधिक नाम :	
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो :	
4.	पता :	
5.	कर अवधि : (यदि कोई हो)	<वर्ष>/मास से > वर्ष >मास/

6.	दावा की गई प्रतिदाय की रकम (रु0):	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल																																																																																																																																		
		केन्द्रीय कर																																																																																																																																								
		राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर																																																																																																																																								
		एकीकृत कर																																																																																																																																								
		उपकर																																																																																																																																								
		कुल																																																																																																																																								
7.	प्रतिदाय दावा के आधार (नीचे से चयन करें) :	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="495 472 625 514">(क)</td> <td colspan="7" data-bbox="625 472 1502 514">इलैक्ट्रानिक नकद खाता में अतिशेष :</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 514 625 556">(ख)</td> <td colspan="7" data-bbox="625 514 1502 556">सेवाओं के निर्यात – कर के संदाय के साथ :</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 556 625 598">(ग)</td> <td colspan="7" data-bbox="625 556 1502 598">माल/सेवाएं के निर्यात – कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 598 625 651">(घ)</td> <td colspan="7" data-bbox="625 598 1502 651">आदेश के मद्दे</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 651 625 777"></td> <td data-bbox="625 651 706 777">क्रम सं.</td> <td data-bbox="706 651 966 777">आदेश का प्रकार,</td> <td data-bbox="966 651 1079 777">आदेश संख्या</td> <td data-bbox="1079 651 1193 777">आदेश की तारीख</td> <td data-bbox="1193 651 1323 777">आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी</td> <td colspan="2" data-bbox="1323 651 1502 777">संदाय संदर्भ संख्या (यदि कोई हो)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 777 625 819">(i)</td> <td data-bbox="625 777 706 819"></td> <td data-bbox="706 777 966 819">निर्धारण</td> <td data-bbox="966 777 1079 819"></td> <td data-bbox="1079 777 1193 819"></td> <td data-bbox="1193 777 1323 819"></td> <td colspan="2" data-bbox="1323 777 1502 819"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 819 625 913">(ii)</td> <td data-bbox="625 819 706 913"></td> <td data-bbox="706 819 966 913">अंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देना</td> <td data-bbox="966 819 1079 913"></td> <td data-bbox="1079 819 1193 913"></td> <td data-bbox="1193 819 1323 913"></td> <td colspan="2" data-bbox="1323 819 1502 913"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 913 625 955">(iii)</td> <td data-bbox="625 913 706 955"></td> <td data-bbox="706 913 966 955">अपील</td> <td data-bbox="966 913 1079 955"></td> <td data-bbox="1079 913 1193 955"></td> <td data-bbox="1193 913 1323 955"></td> <td colspan="2" data-bbox="1323 913 1502 955"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 955 625 1050">(iv)</td> <td data-bbox="625 955 706 1050"></td> <td data-bbox="706 955 966 1050">कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)</td> <td data-bbox="966 955 1079 1050"></td> <td data-bbox="1079 955 1193 1050"></td> <td data-bbox="1193 955 1323 1050"></td> <td colspan="2" data-bbox="1323 955 1502 1050" rowspan="9"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1050 625 1144">(ड.)</td> <td colspan="7" data-bbox="625 1050 1502 1144">विपर्यस्त कर ढांचा के कारण संचित आई टी सी [धारा 54(3)) के प्रथम परंतुक का खंड (ii)]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1144 625 1228">(च)</td> <td colspan="7" data-bbox="625 1144 1502 1228">विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे – (कर संदाय के साथ)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1228 625 1323">(छ)</td> <td colspan="7" data-bbox="625 1228 1502 1323">विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता किए गए प्रदाय के मद्दे – (कर संदाय के बिना)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1323 625 1417">(ज)</td> <td colspan="7" data-bbox="625 1323 1502 1417">समझे गए निर्यात प्रदायों का प्राप्तिकर्ता/समझे गए निर्यात प्रदायों का प्रदायकर्ता</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1417 625 1512">(झ)</td> <td colspan="7" data-bbox="625 1417 1502 1512">ऐसे प्रदाय पर जो पूर्णतः या भागतः उपबंधित नहीं और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है पर संदत्त कर (अग्रिम संदाय पर संदत्त कर)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1512 625 1606">(ञ)</td> <td colspan="7" data-bbox="625 1512 1502 1606">अंतरराज्यिक प्रदाय पर संदत्त कर जिसे बाद में अंतरराज्यिक प्रदाय अनिर्धारित किया गया है और विपर्ययेन (पीओएस में परिवर्तन)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1606 625 1648">(ट)</td> <td colspan="7" data-bbox="625 1606 1502 1648">कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो ।</td> </tr> <tr> <td data-bbox="495 1648 625 1690">(ठ)</td> <td colspan="7" data-bbox="625 1648 1502 1690">कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)</td> </tr> </table>	(क)	इलैक्ट्रानिक नकद खाता में अतिशेष :							(ख)	सेवाओं के निर्यात – कर के संदाय के साथ :							(ग)	माल/सेवाएं के निर्यात – कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात							(घ)	आदेश के मद्दे								क्रम सं.	आदेश का प्रकार,	आदेश संख्या	आदेश की तारीख	आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी	संदाय संदर्भ संख्या (यदि कोई हो)		(i)		निर्धारण						(ii)		अंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देना						(iii)		अपील						(iv)		कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)						(ड.)	विपर्यस्त कर ढांचा के कारण संचित आई टी सी [धारा 54(3)) के प्रथम परंतुक का खंड (ii)]							(च)	विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे – (कर संदाय के साथ)							(छ)	विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता किए गए प्रदाय के मद्दे – (कर संदाय के बिना)							(ज)	समझे गए निर्यात प्रदायों का प्राप्तिकर्ता/समझे गए निर्यात प्रदायों का प्रदायकर्ता							(झ)	ऐसे प्रदाय पर जो पूर्णतः या भागतः उपबंधित नहीं और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है पर संदत्त कर (अग्रिम संदाय पर संदत्त कर)							(ञ)	अंतरराज्यिक प्रदाय पर संदत्त कर जिसे बाद में अंतरराज्यिक प्रदाय अनिर्धारित किया गया है और विपर्ययेन (पीओएस में परिवर्तन)							(ट)	कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो ।							(ठ)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
(क)	इलैक्ट्रानिक नकद खाता में अतिशेष :																																																																																																																																									
(ख)	सेवाओं के निर्यात – कर के संदाय के साथ :																																																																																																																																									
(ग)	माल/सेवाएं के निर्यात – कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात																																																																																																																																									
(घ)	आदेश के मद्दे																																																																																																																																									
	क्रम सं.	आदेश का प्रकार,	आदेश संख्या	आदेश की तारीख	आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी	संदाय संदर्भ संख्या (यदि कोई हो)																																																																																																																																				
(i)		निर्धारण																																																																																																																																								
(ii)		अंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देना																																																																																																																																								
(iii)		अपील																																																																																																																																								
(iv)		कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)																																																																																																																																								
(ड.)	विपर्यस्त कर ढांचा के कारण संचित आई टी सी [धारा 54(3)) के प्रथम परंतुक का खंड (ii)]																																																																																																																																									
(च)	विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे – (कर संदाय के साथ)																																																																																																																																									
(छ)	विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता किए गए प्रदाय के मद्दे – (कर संदाय के बिना)																																																																																																																																									
(ज)	समझे गए निर्यात प्रदायों का प्राप्तिकर्ता/समझे गए निर्यात प्रदायों का प्रदायकर्ता																																																																																																																																									
(झ)	ऐसे प्रदाय पर जो पूर्णतः या भागतः उपबंधित नहीं और जिसके लिए बीजक जारी नहीं किया गया है पर संदत्त कर (अग्रिम संदाय पर संदत्त कर)																																																																																																																																									
(ञ)	अंतरराज्यिक प्रदाय पर संदत्त कर जिसे बाद में अंतरराज्यिक प्रदाय अनिर्धारित किया गया है और विपर्ययेन (पीओएस में परिवर्तन)																																																																																																																																									
(ट)	कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो ।																																																																																																																																									
(ठ)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)																																																																																																																																									
8.	बैंक खाता के ब्यौरे	बैंक का नाम	बैंक शाखा का पता	भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड (आईएफएससी)	खाता के प्रकार	खाता संख्या																																																																																																																																				
9.	क्या धारा 54(4) के अधीन आवेदक द्वारा स्वयं घोषणा फाइल की गई है, यदि लागू हो	☐ हाँ ☐ नहीं																																																																																																																																								

घोषणा [धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]

मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के अध्याधीन नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि माल या सेवाओं या दोनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क /सेवा कर/केन्द्रीय कर के किसी प्रतिदाय की वापिसी का उपभोग नहीं किया है और इसलिए मैंने ऐसे प्रदायों पर जिसके प्रतिदाय का दावा किया गया है, पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा नहीं किया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति"]

घोषणा [धारा 54(3)(ii)]

मैं यह घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि आवेदन में दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय प्रतिदाय में उपभोग शून्य दर या पूर्ण रुप से छूट प्राप्त प्रदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई टी सी सम्मिलित नहीं है ।

हस्ताक्षर

नाम--

पदनाम /प्रास्थिति"

घोषणा [नियम 89(2)(च)]

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई /विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता ने आवेदक द्वारा ऐसे संदत्त कर के इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(छ)]

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता/प्रदायकर्ता के लिए)

प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐
 मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरण 5ख में दिया गया है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइल की गई विधिमान्य विवरणी में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं है /मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि प्रदायकर्ता ने उक्त प्रदायों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है ।

प्रदायकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐
 मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरण 5ख में दिया गया है मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त प्रदायों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं किया जाएगा और प्राप्तिकर्ता ऐसे प्रदायों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग भी नहीं करेंगे ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

परिवचन

मैं सरकार को ब्याज के साथ मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम का उस दशा में वापस संदाय करने का वचन देता हूँ / देती हूँ यदि बाद में यह पाया जाता है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम /बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) की अपेक्षाओं का प्रतिदाय की गई रकम के संबंध में पालन नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

स्वयं-घोषणा [नियम 89(2)(1)]

मैं.....(आवेदक) जिसकी माल और सेवा कर पहचान संख्या /अस्थाई पहचान.....है, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ /करती हूँ और प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि कर, ब्याज यासे तक की अवधि के लिए किसी रकम की बाबत रु0..... रकम के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में दावा किया गया है ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

(ऐसे आवेदकों से यह घोषणा देने की अपेक्षा नहीं है जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है)

10. सत्यापन

मैं/हम (करदाता का नाम) सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ / करते हैं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें से कुछ छुपाया नहीं गया है ।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस मद्दे मेरे/हमारे द्वारा पहले कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है ।

स्थान

तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर
(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

उपाबंध - 1**विवरण -1 [नियम 89 (5)]**

प्रतिदाय : प्रकार विपर्यस्त कर सरंचना के लिए देय संचित आई टी सी [धारा 54(3) के पहले परंतुक के खंड (ii)]

(रकम रु0 में)

माल और सेवाओं के विपर्यस्त दर प्रदाय का आवर्त	माल और सेवाओं के ऐसे विपर्यस्त दर प्रदाय पर संदेय कर	समायोजित कुल आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	दावा की जाने वाली अधिकतम प्रतिदाय रकम
1	2	3	4	5

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम रु० में.)

[illegible]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आई टी सी) - प्रतिदाय की रकम की संगणना

(रकम रु0 में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

प्रतिदाय प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (कर के संदाय पर)

(रकम रु0 में.)

[illegible]

विवरण-5 [नियम 89(2)(घ) और 89(2)(ड.)]

प्रतिदाय प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (कर के संदाय के बगैर)

(रकम ₹0 में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			माल/ सेवाएं (जी/एस)	लदान बिल/निर्यात बिल/ पृष्ठांकित बीजक सं.	
	सं.	तारीख	मूल्य		सं.	तारीख
1	2	3	4	5	6	7

विवरण-5क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बगैर विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (संचित आईटीसी) – प्रतिदाय रकम की संगणना

(रकम ₹0 में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

विवरण 5ख [नियम 89(2)(छ)]

प्रतिदाय प्रकार : समझे गए निर्यात के मद्दे

(रकम ₹0 में.)

क्रम सं.	जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है / जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है ।				संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआई एन	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विवरण 6 [नियम 89 (2) (ज)]

प्रतिदाय प्रकार : पी ओ एस में परिवर्तन के मद्दे (अंतरराज्य से अंतरराज्यिक और विपर्य)

आदेश ब्यौरे (धारा 77 (1) और (2) के अनुसरण में जारी, यदि कोई हो :

आदेश सं.

आदेश तारीख :

(रकम रु0 में)														
जीएसटी आईएस/ यूआईएन (बी 2सी के मामले में)	बीजक के ब्यौरे				पूर्व अन्तरराज्यिक/अन्तरराज्यिक के रूप में संव्यवहार पर संदत्त कर के ब्यौरे					ऐसे संव्यवहार पर पुनःनिर्धारित कर जो पश्चातवर्ती अन्तरराज्यिक/अंतरराज्यिक				
	सं०	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर रकम	केन्द्रीय कर रकम	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर रकम	उपकर रकम	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्राप्तिकर्ता से भिन्न की प्रास्थिति)	एकीकृत कर रकम	केन्द्रीय कर रकम	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर रकम	उपकर रकम	प्रदाय का स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

विवरण 7 [नियम 89 (2) (ट)]

नियम 89(2)(ट) के अधीन फाईल किया आवेदन के मामले में कथन

कर के अधिक संदाय खाते पर प्रतिदाय

(रकम रु0 में)

कर अवधि	विवरणी का ए आर एन	विवरणी फाईल करने की तारीख	संदेय कर			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7

उपाबंध-2

प्रमाणपत्र (नियम 89(2)(ड))

यह प्रमाणित किया जाता है किकर अवधि के लिए.....माल और सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आई डी, मैसर्स..... (आवेदक का नाम) द्वारा(शब्दों में) आई एन आर दावे के प्रतिदाय के संबंध में कर और ब्याज का आपतन किसी अन्य व्यक्ति ने पारित नहीं किया है । यह प्रमाणपत्र आवेदन द्वारा विशेष रूप से अनुरक्षण दिए गए लेखा पुस्तकों और अन्य संबंधित अभिलेखों और विवरणियों के परीक्षण के आधार पर है ।

चार्टर्ड आकाउन्टेंट/लागत लेखाकार के हस्ताक्षर:

नाम:

सदस्य संख्या:

स्थान:

तारीख:

टिप्पण : इस प्रमाणपत्र की ऐसे आवेदक से देने की अपेक्षा नहीं है जिसने अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है ।

अनुदेश-

1. प्रयुक्त पद:

- क. बी से सी : रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति से गैर रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति
- ख. ईजीएम : निर्यात साधारण घोषणापत्र
- ग. जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या
- घ. आईजीएसटी : एकीकृत माल और सेवा कर
- ङ. आईटीसी : इनपुट कर प्रत्यय
- च. पीओएस : प्रदाय का स्थान (श्रमिक राज्य)
- छ. एसईजेड : विशेष आर्थिक जोन
- ज. अस्थायी आईडी : अस्थायी पहचान संख्या
- झ. यूआईएन : विशिष्ट पहचान संख्या

2. इलैक्ट्रानिक नकद लेजर में उपलब्ध अतिरिक्त रकम का प्रतिदाय रिटर्न या आवेदन फाइल करके भी दावा किया जा सकता है ।
3. नामे प्रविष्टि आवेदन फाइल करते समय इलैक्ट्रानिक प्रत्यय या नकद लेजर में की जाएगी ।
4. प्ररूप जीएसटी आरएफडी-02 में अभिस्वीकृति जारी की जाएगी, यदि आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाया जाता है ।
5. आईजीएसटी के संदाय के साथ माल के निर्यात पर प्रतिदाय का दावा इस आवेदन के साथ प्रक्रियागत नहीं किया जाएगा ।
6. बैंक खाता ब्यौरे रजिस्ट्रीकरण डाटा के अनुसार होने चाहिए । बैंक ब्यौरों में कोई परिवर्तन आवेदन में कथन किए जाने से पूर्व रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में पहले संशोधित किया जाएगा ।
7. घोषणा उन मानकों में फाइल की जाएगी, जहां कहीं अपेक्षित हों ।
8. 'कुल इनपुट कर प्रत्यय' से सुसंगत अवधि के दौरान कथन-1 के प्रयोजन के लिए इनपुट पर उपयोग किया गया इनपुट कर प्रत्यय अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत कथन 3क और 5क के प्रयोजन के लिए इनपुट सेवाओं पर आईटीसी भी है ।
9. 'समायोजित कुल आवर्त' से धारा 2 के खंड (112) के अधीन यथा परिभाषित सुसंगत अवधि के दौरान शून्य दर प्रदायों से भिन्न छूट प्राप्त प्रदायों के मूल्य को छोड़कर किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में आवर्त अभिप्रेत है ।
10. कथन-1 के प्रयोजन के लिए, प्रदिताय दावा जीएसटीआर-1 और जीएसटीआर-2 में रिपोर्ट किए गए पर आधारित होगा ।
11. बीआरसी या एफआईआरसी ब्यौरे वहां बाध्यकारी होंगे, जहां सेवाओं के निर्यात के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाता है, माल के निर्यात के मामले में पोत बिल और ईजीएम प्रदान करना बाध्यकारी होगा ।
12. जहां (निर्यात समेत) बीजक ब्यौरों का संशोधन किया जाता है, प्रतिदाय संशोधित मूल्य पर आधारित गणना के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।
13. कर के संदाय के बिना किए गए निर्यात के ब्यौरे कथन-3 में रिपोर्ट किए जाएंगे ।
14. कर के संदाय के बिना एसईजेड यूनिट या एसईजेड डेव्लपर को किए गए प्रदायों के मामले में दावा किए जाने वाले प्रतिदाय की उपलब्धता नियम 89(4) में विहित सूत्र के अनुसार निकाली जाएगी ।
15. 'माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त' का वही अर्थ होगा जो नियम 89(4) में परिभाषित है।"।

15. उक्त नियमों के प्ररूप जीएसटीआरएफडी-01क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

"प्ररूप – जीएसटी-आरएफडी-01क

[नियम 89(1) और 97क देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन (निर्देशिका)

(नैमित्तिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति, कर का कटौतीकर्ता, कर संग्रहणकर्ता और अन्य रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति को लागू)

1.	जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी							
2.	विधिक नाम							
3.	व्यापार नाम, यदि कोई हो							
4.	पता							
5.	कर अवधि (यदि लागू हो)	< वर्ष/मास >		से <वर्ष/मास >				
6.	दावा किया गया प्रतिदाय की (रु0) :	अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
		केन्द्रीय कर						
		राज्य कर संघ राज्यक्षेत्र कर						
		एकीकृत कर						
		उपकर						
		कुल						
7.	प्रतिदाय दावा के लिए आधार (नीचे से चयन करें) :	(क)	इलैक्ट्रानिक के नकद खाता में अधिक अतिशेष :					
		(ख)	माल/सेवाओं के निर्यात कर के प्रदाय के साथ :					
		(ग)	माल/सेवाओं का निर्यात-कर के संदाय के बगैर (संचित आईटीसी)					
		(घ)	विपर्यस्त कर संरचना के प्रति देय संचित आईटीसी [धारा 54(3)] के पहले परंतुक के खंड (ii) के अधीन					
		(इ)	विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता को किए गए प्रदायों के मद्दे (कर संदाय सहित)					

	(च)	विशेष आर्थिक जोन इकाई/विशेष आर्थिक विकासकर्ता को किए गए प्रदायों के मद्दे (कर संदाय बगैर)					
	(छ)	समझे गए निर्यात प्रदायों का प्राप्तिकर्ता/समझे गए निर्यात प्रदायों का प्रदायकर्ता					
	(ज)	आदेश के मद्दे					
		क्रम सं०	आदेश का प्रकार	आदेश सं०	आदेश की तारीख	आदेश जारी करने वाला प्राधिकारी	संदाय निर्देश सं० यदि कोई हो
		(i)	निर्धारण				
		(ii)	अंतिम निर्धारण को अंतिम रूप देना				
		(iii)	अपील				
		(iv)	कोई अन्य आदेश (विनिर्दिष्ट करें)				
	(झ)	अंतरराज्यिक प्रदाय पर संदत्त कर जिसे पश्चात्कर्ती अंतरराज्य प्रदाय निर्धारित किया गया है और विपर्ययेन (पीओएस में परिवर्तन)					
	(ञ)	कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो ।					
	(ट)	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)					

[घोषणा धारा 54(3) का दूसरा परंतुक]

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि निर्यातित माल किसी निर्यात शुल्क के अध्याधीन नहीं है, मैं यह भी घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि माल या सेवाओं या दोनों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क /सेवा कर/केन्द्रीय कर के किसी प्रतिदाय की वापिसी का उपभोग नहीं किया है और इसलिए मैंने ऐसे प्रदायों पर जिसके प्रतिदाय का दावा किया गया है, पर संदत्त एकीकृत कर के प्रतिदाय का दावा नहीं किया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [धारा 54(3)(ii)]

मैं यह घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि आवेदन में दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय प्रतिदाय में उपभोग शून्य दर या पूर्ण रूप से छूट प्राप्त प्रदायों के लिए उपयोग किए गए माल या सेवाओं पर उपभोग किया गया आई टी सी सम्मिलित नहीं है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(च)]

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि विशेष आर्थिक जोन इकाई /विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता ने आवेदक द्वारा ऐसे संदत्त कर के इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग नहीं किया है, जो इस प्रतिदाय दावे के अंतर्गत आता है।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

घोषणा [नियम 89(2)(छ)]

(समझे गए निर्यात के प्राप्तिकर्ता/प्रदायकर्ता के लिए)

प्राप्तिकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरण 5ख में दिया गया है और रकम उक्त कर अवधि के लिए फाइनल की गई विधिमान्य विवरणी में उपभोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय को रकम से अधिक नहीं है /मैं यह भी घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि प्रदायकर्ता ने उक्त प्रदायों के संबंध में प्रतिदाय का दावा नहीं किया है।

प्रदायकर्ता द्वारा दावा किए गए प्रतिदाय की दशा में ☐

मैं घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि केवल ऐसे बीजकों के लिए प्रतिदाय का दावा किया जाएगा जिसका ब्यौरा उस कर अवधि के लिए जिसके लिए प्रतिदाय का दावा किया गया है, विवरण 5ख में दिया गया है मैं यह भी घोषणा करता हूँ /करती हूँ कि प्राप्तिकर्ता द्वारा उक्त प्रदायों के संबंध में किसी प्रतिदाय का दावा नहीं किया जाएगा और प्राप्तिकर्ता ऐसे प्रदायों पर किसी इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग भी नहीं करेंगे।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/ प्रास्थिति

परिवचन

मैं सरकार को ब्याज के साथ मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम का उस दशा में वापस संदाय करने का वचन देता हूँ / देती हूँ यदि बाद में यह पाया जाता है कि केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम /बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (2) के खंड (ग) की अपेक्षाओं का प्रतिदाय की गई रकम के संबंध में पालन नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति

स्वयं-घोषणा [नियम 89(2)(1)]

मैं.....(आवेदक) जिसकी माल और सेवा कर पहचान संख्या /अस्थाई पहचान.....है, सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ /करती हूँ और प्रमाणित करता हूँ /करती हूँ कि कर, ब्याज यासे तक की अवधि के लिए किसी रकम की बाबत रु0..... रकम के प्रतिदाय के संबंध में प्रतिदाय आवेदन में दावा किया गया है ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी अन्य व्यक्ति को पारित नहीं किया गया है ।

हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

(ऐसे आवेदकों से यह घोषणा देने की अपेक्षा नहीं है जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है)

8. सत्यापन

मैं/हम (करदाता का नाम) सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ/करते हैं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें से कुछ छुपाया नहीं गया है ।

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इस मद्दे मेरे/हमारे द्वारा पहले कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है।

स्थान

तारीख

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम/प्रास्थिति

उपाबंध-1

विवरण-1 [नियम 89(5)]

प्रतिदाय प्रकार: विपर्यस्त कर ढांचा के प्रतिदेय संचित आईटीसी [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड (ii)]
(रु में रकम)

माल और सेवाओं के प्रदाय विपर्यस्त दर प्रदाय का आवर्त	माल और सेवाओं के ऐसे विपर्यस्त दर प्रदाय पर संदेय कर	समायोजित कुल आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	दावा की जाने वाली अधिकतम प्रदाय रकम $[(1 \times 4 \div 3) - 2]$
1	2	3	4	5

विवरण 1क [नियम 89(2) (ज)]

प्रतिदाय का प्रकार विपर्यस्त कर ढांचा के लिए आई टी सी संचित देय [धारा 54 (3) के पहले परंतुक का खंड 2(ii)]

क्रम सं..	प्राप्त किए गए आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				इनपुट के आवक प्रदायों पर संदत्त कर			जारी किए गए जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे				जावक प्रदायों पर संदत्त कर		
	जीएसटी आईएन रजिस्ट्रीकृत प्रदायकर्ता का नाम	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर	सं.	तारीख	कराधेय मूल्य	बीजक का प्रकार (बी2बी /बी 2 सी)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर /संघ राज्य क्षेत्र कर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

* विपर्यस्त प्रभार तंत्र के अधीन प्राप्त आयातों या प्रदायों की दशा में [केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/ बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (3)], प्रदायकर्ता के जी एस टी आई एन से आवेदक (प्राप्तिकर्ता) का जी एस टी आई एन अभिप्रेत है ।

विवरण- 2 [नियम 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार: कर के संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(रकम ₹0 में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			एकीकृत कर		उपकर	बी आर सी / एफ आई आर सी		नामोनोट में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	जमापत्र में अंतर्वलित एकीकृत कर और उपकर यदि कोई हो	शुद्ध एकीकृत कर और उपकर (6+7+10 - 11)
	सं.	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम		सं.	तारीख			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण- 3 [नियम 89(2)(ख) और 89(2)(ग)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आईटीसी)

(रकम ₹0 में.)

क्रम सं.	बीजक के ब्यौरे			माल /सेवाएं (जी/एस)	पोत पत्र/ निर्यात पत्र			ईजीएम ब्यौरे		बी आर सी/ एफ आई आर सी	
	सं.	तारीख	मूल्य		पत्तन कोड	सं.	तारीख	संदर्भ सं.	तारीख	सं..	तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

विवरण- 3क [नियम 89(4)]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बिना निर्यात (संचित आई टी सी) – प्रतिदाय की रकम की संगणना

(रकम ₹0 में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

प्रतिदाय प्रकार : विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (कर के संदाय पर)

[illegible]

प्रतिदाय प्रकार : कर के संदाय के बगैर विशेष आर्थिक जोन इकाई या विशेष आर्थिक जोन विकास कर्ता को किए गए प्रदाय के मद्दे (संचित आईटीसी) – प्रतिदाय रकम की संगणना (रकम रु0 में.)

माल और सेवाओं के शून्य दर प्रदाय का आवर्त	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय	समायोजित कुल आवर्त	प्रतिदाय रकम (1×2÷3)
1	2	3	4

प्रतिदाय प्रकार : समझे गए निर्यात के मद्दे

क्रम सं.	जावक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्रदायकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है / आवक प्रदायों के बीजकों के ब्यौरे यदि प्राप्तिकर्ता द्वारा प्रतिदाय का दावा किया गया है ।				संदत्त कर			
	प्रदायकर्ता का जीएसटीआई एन	सं.	तारीख	करादधेय मूल्य	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर / संघ राज्य क्षेत्र कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

विवरण 6 [नियम 89(2)(ज)]

प्रतिदाय प्रकार: पीओएस में परिवर्तन के मद्दे (अंतरराज्यिक से अंतरराज्यिक और विपर्ययेन)
आदेश ब्यौरे (धारा 77(1) और धारा 77(2) के अनुसरण में जारी, यदि कोई हो:

आदेश सं०

आदेश तारीख

जीएसटी आईएस/ यूआईएन (बी 2सी के मामले में)	राज्यांतरित/अन्तरराज्यिक पूर्व के रूप में संव्यवहार अच्छादित के ब्यौरे									संव्यवहार जिसके लिए अन्तरराज्यिक/राज्यांतरिक प्रदाय पश्चातवर्ती धारित किए गए थे				
	बीजक के ब्यौरे				एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्राप्तिकर्ता से भिन्न की प्रास्थिति)	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	उपकर	प्रदाय का स्थान (केवल यदि प्राप्तिकर्ता से भिन्न की प्रास्थिति)
	सं०	तारीख	मूल्य	कराधेय मूल्य	रकम	रकम	रकम	रकम		रकम	रकम	रकम	रकम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

विवरण:7 [नियम 89(2)(ट)]

प्रतिदाय प्रकार: फाइल की गई अंतिम विवरणी की दशा में, कर का अधिक संदाय, यदि कोई हो

(रकम रु में)

कर अवधि	विवरणी का एआरएन	विवरणी फाइल करने की तारीख	अधिक संदत्त किया गया कर			
			एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7

16. उक्त नियमों के, प्ररूप जीएसटी आर-9 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :-

“प्ररूप जी एस टी आर-9 (नियम 80 देखें) वार्षिक विवरणी						
पीटी. I	मूल ब्यौरे					
1	वित्तीय वर्ष					
2	जी एस टी आई एन					
3क	विधिक नाम					
3ख	व्यापार नाम (यदि कोई हो)					
पीटी..II	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे					
		(सभी सारणियों में रकम रुपये में)				
	प्रदायों की प्रकृति	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
4	उस वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल में जो संदेय है, पर अग्रिम, आवक और जावक प्रदाय के ब्यौरे					
क	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ग)					
ख	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदाय (ख2ख)					
ग	कर संदाय (विशेष आर्थिक जोनों से भिन्न) शून्य रेटेड प्रदाय (निर्यात)					
घ	कर संदाय पर विशेष आर्थिक जोन को प्रदाय					
ड.	समझा गया निर्यात					
च	अग्रिम जिस पर कर संदत्त हैं, परंतु बीजक जारी नहीं किए गए हैं (उपर्युक्त (क) से (ड.) के अधीन समावेशित नहीं है					
छ	आवक प्रदाय जिस पर रिवर्स भार के आधार पर कर संदत्त किया जाना है					
ज	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ तक)					
झ	उपर्युक्त (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी साखपत (-)					

ज	उपर्युक्त (ख) से (ड.) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट (+)					
ट	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर					
ठ	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय / कर					
ड	(उपर्युक्त झ से ठ) का आंशिक योग					
ढ	प्रदाय और अग्रिम जिस पर संदत्त किया जाना है, उपर्युक्त (ज+ड)					
5	ऐसे जावक प्रदायों के ब्यौरे जिस पर, उस वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई करसंदेय नहीं है					
क	कर संदाय के बिना शून्य रेटेड प्रदाय (निर्यात)					
ख	कर संदाय के बिना विशेष आर्थिक जोनों की प्रदाय					
ग	प्रदाय जिस पर उलटे गए भार के आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा संदाय किया जाना है					
घ	छूट-प्राप्त					
ड.	शून्य रेटेड					
च	गैर – जी एस टी प्रदाय (जिसके अंतर्गत 'कोई प्रदाय नहीं' भी है)					
छ	आंशिक योग (उपर्युक्त क से छ)					
ज	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी साखपत (-)					
झ	उपर्युक्त (क) से (छ) में विनिर्दिष्ट संव्यवहारों के संबंध में जारी नामे नोट (+)					
ञ	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय					
ट	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय					
ठ	आंशिक योग (उपर्युक्त ज से ट)					
ड	आवर्तन जिस पर संदत्त किया जाना है, उपर्युक्त (छ+ढ)					
ढ	कुल आवर्तन (अग्रिम सहित) उपर्युक्त 4ढ + 5ड -4छ)					

पीटी. III वित्तीय वर्ष के लिए आईटीसी के ब्यौरे						
	विवरण	प्रकार	केंद्रीय कर	राज्यकर/ससंघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
6	वित्तीय वर्ष के दौरान उपयोग किए गए आईटीसी के ब्यौरे					
क	प्ररुप जी एस टी आर-3ख के माध्यम से उपभोग की गई निवेश कर प्रत्यय की कुल रकम (प्ररुप जी एस टी आर - 3ख के सारणी 4क कर कुल जोड़)		<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >
ख	आवक प्रदाय (रिवर्स भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाएं सम्मिलित हैं)	निवेश				
		पूंजी माल				
		निवेश सेवाएं				
ग	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आई टीसी का उपभोग किया गया है	निवेश				
		पूंजी माल				
		निवेश सेवाएं				
घ	रिवर्स भार (उपर्युक्त ख से भिन्न) के लिए दायी अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय जिस पर कर संदत्त है और आई टीसी का उपभोग किया गया है	निवेश				
		पूंजी माल				
		निवेश सेवाएं				
ड.	मालों का आयात (विशेष आर्थिक जोनों से प्रदाय शामिल)	निवेश				
		पूंजी माल				

च	सेवाओं का आयात (विशेष आर्थिक जोनों से आवक प्रदाय छोड़कर)				
छ	आई एस डी से प्राप्त निवेश का प्रत्यय				
ज	अधिनियम के उपबंधों के अधीन पुननिर्मित आई टी सी की रकम (उपर्युक्त ख से भिन्न)				
झ	आंशिक योग (उपर्युक्त ख से ज)				
ञ	अंतर (उपर्युक्त झ-क)				
ट	टी आर ए एन-। के माध्यम से संक्रमण प्रत्यय (पुनरीक्षण सहित, यदि कोई हो)				
ठ	टी आर ए एन-॥ के माध्यम से संक्रमण प्रत्यय				
ड	उपभोग की गई किन्तु ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं की गई कोई अन्य आईटीसी				
ढ	आंशिक योग (उपर्युक्त ट से ड तक)				
ण	उपभोग की गई कुल आई टी सी (उपर्युक्त झ + ढ)				

7	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रतिवर्ती आईटीसी के और अपात्र आईटीसी के ब्यौरे				
क	नियम 37 के अनुसार				
ख	नियम 39 के अनुसार				
ग	नियम 42 के अनुसार				
घ	नियम 43 के अनुसार				
ड.	धारा 17 (5) के अनुसार				
च	टीआर ए एन - । प्रत्यय का उलटाव				

छ	टीआर ए एन - II प्रत्यय का उलटाव				
ज	अन्य उलटाव (कृपया विनिर्दिष्ट करें)				
झ	कुल प्रतिवर्तित आईटीसी (उपर्युक्त क से ज का जोड़)				
ञ	उपयोग के लिए उपलब्ध शुद्ध आई टी सी (6ण-7झ)				

8	सूचना से संबंधित अन्य आई टी सी				
क	जी एस टी आर -2क के अनुसार आई टी सी	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >
ख	उपर्युक्त 6(ख) और 6(ज) की कुल रकम के अनुसार आई टी सी	<आटो>			
ग	वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्त आवक प्रदाय पर आई टी सी (रिवर्स भार के लिए दायी आयातों और आवक प्रदायों से भिन्न) परंतु विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं सहित) परंतु अप्रैल से सितंबर, 2018 के दौरान उपभोग किए गए				
घ	अंतर (क- ख +ग)				
ड.	उपलब्ध आई टी सी परंतु उपभोग न की गई				
च	उपलब्ध आई टी सी परंतु अनुपयुक्त				
छ	मालों के आयात पर संदत्त आई जीएसटी (विशेष आर्थिक जाने से प्रदाय सहित)				
ज	मालों के आयात पर उपभोग की गई आई जीएसटी प्रत्यय (उपर्युक्त 6(ड.) के अनुसार	<आटो>			

झ	अंतर (छ-ज)				
ज	मालों के आयात पर उपलब्ध आई टी सी परंतु उपयोग न की गई (झ के समान)				
ट	चालू वित्तीय वर्ष में व्ययगत होने वाला कुल आई टी सी (ड. + च + ज)	<आटो>	<आटो>	< आटो >	< आटो >

पीटी. IV		वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल विवरणियों में घोषित रूप में संदत्त कर के ब्यौरे					
				आई टी सी के माध्यम से संदत्त			
9	विवरण	संदेय कर	संदत्त	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	समेकित कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7
	एकीकृत कर						
	केंद्रीय कर						
	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कर						
	उपकर						
	ब्याज						
	विलंब फीस						
	शास्ति						
	अन्य						

पीटी. V चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक की विवरणियों में घोषित पूर्व वित्तीय वर्ष के या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाईल किए जाने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, संव्यवहारों की विशिष्टियां						
	विवरण	संदेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
10	संशोधनों (+) के माध्यम से घोषित प्रदाय / कर(शुद्ध नामे नोट)					
11	संशोधनों (-) के माध्यम से घटी हुई प्रदाय/ कर(शुद्ध साख पत्र)					
12	पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान उपभोग की गई आई टी सी का उलटाव					
13	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए उपभोग की गई आईटीसी					

14	उपर्युक्त 10 और 11 में घोषणा के कारण संदत्त अंतरीय कर		
	विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
	एकीकृत कर		
	केंद्रीय कर		
	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर		
	उपकर		
	ब्याज		

पीटी. VI	अन्य जानकारी							
15	मांग और प्रतिदाय का विवरण							
	ब्यौरा	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/ अन्य
	1	2	3	4	5			
क	कुल दावाकृत प्रतिदाय							
ख	कुल मंजूर प्रतिदाय							
ग	कुल अस्वीकृत प्रतिदाय							
घ	कुल लंबित प्रतिदाय							
ड.	कुल करों की मांग							
च	उपर्युक्त ड. के संबंध में संदत्त कुल कर							
छ	उपर्युक्त ड. में से लंबित कुल मांग							

16	धारा 143 के अधीन समिश्रण कर दाताओं, समझी गई प्रदाय से प्राप्त प्रतियों पर जानकारी और अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल					
	ब्यौरे	संदेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
क	समिश्रण करदाताओं से प्राप्त प्रदाय					
ख	धारा 143 के अधीन समझी गई प्रदाय					
ग	अनुमोदन आधार पर भेजा गया माल, जो वापस नहीं आया					

17	जावक प्रदायों का सारांश वार एचएसएन							
एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमाण	संदेय मूल्य	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

18	आवक प्रदायों का एचएसएन वार सारांश							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एच एस एन कोड	यू क्यू सी	कुल परिमाण	संदेय मूल्य	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्यकर/ संघ राज्य क्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर

19	संदेय और संदत्त विलंब फीस		
	विवरण	संदेय	संदत्त
	1	2	3
क	केंद्रीय कर		
ख	राज्य कर		

सत्यापन :

मैं, सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूं और घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और उसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है तथा आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में उसके लाभ को प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को प्रदान कर दिया गया है/कर दिया जाएगा ।

हस्ताक्षर

स्थान :

प्राधिकृत हस्ताक्षकर्ता का नाम

तारीख :

पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :-

1. प्रयुक्त पद :

क. जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या

ख. यूक्यूसी : यूनिट मात्रा कूट

ग. एचएसएन : नाम पद्धति कूट की सुमेलित पद्धति

2. इस विवरणी को फाइल करने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने सभी प्ररूप जीएसटी आर-1 और प्ररूप जीएसटी आर-3ख भरना आज्ञापक है। इस विवरणी में जुलाई, 2017 से मार्च 2018 के बीच की अवधि के ब्यौरे उपलब्ध कराए जाएं ।

3. यह नोट किया जाए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 का अतिरिक्त उत्तरदायित्व जो प्ररूप जीएसटी आर-1 और प्ररूप जीएसटी आर-3ख घोषित नहीं किया गया है इस विवरणी में घोषित किया जाए। तथापि, इस विवरणी के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2017-2018 2017-2018 के दौरान गैरदावाकृत इनपुट कर प्रत्यय का करदाता दावा नहीं कर सकता ।

4. भाग II में वित्तीय वर्ष के दौरान सभी जावक प्रदायों और प्राप्त अग्रिम के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है । यह नोट किया जाए कि सभी प्रदायों जिनका संदाय प्ररूप जीएसटी आर-3ख के माध्यम से जुलाई 2017 से मार्च 2018 के मध्य किया गया है की घोषणा इस भाग की जाएगी।

सारणी सं.	अनुदेश
4क.	उपभोक्ताओं और अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इनमें ई-वाणिज्य प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदायों के ब्यौरे सम्मिलित होंगे और उनकी इस संबंध में जारी किए गए जमा पत्र या नामे नोट के शुद्ध के रूप में घोषणा की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9 और सारणी 10 में क्रमशः संशोधनों के साथ सारणी 5, सारणी-7 का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ख.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य(जिसके अंतर्गत यूआईएन को किए गए प्रदाय भी हैं) जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इनमें ई-वाणिज्यिक प्रचालकों के माध्यम से की गई प्रदाय यां सम्मिलित होंगी किंतु इनमें ऐसी प्रदाय यां सम्मिलित नहीं होंगी, जिन पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर का संदाय किया जाना है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों का पृथक रूप से वर्णन किया जाना है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4क और सारणी 4ग का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ग.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय), जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा ।
4घ.	विशेष आर्थिक जोन को प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ङ.	समझे गए निर्यात की प्रकृति की प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ग का उपयोग किया जा सकेगा ।
4च.	असमायोजित अग्रिमों के ब्यौरे, अर्थात् अग्रिम प्राप्त किया गया है और कर संदत्त किया गया है किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों

	को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 11क का उपयोग किया जा सकेगा ।
4छ.	सभी आवक प्रदायों का समग्र मूल्य (जिसके अंतर्गत अग्रिम और शुद्ध प्रत्यय और नामे नोट भी हैं) जिन पर कर का प्राप्तिकर्ता द्वारा (अर्थात वार्षिक विवरणी फाइल करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिवर्स प्रभार आधार पर संदाय किया जाना है । इसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रदाय यां हैं, जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर उदग्रहित किया गया है । इसके अंतर्गत सभी सेवाओं के आयात का समग्र मूल्य भी सम्मिलित होगा । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 3.1(घ) का उपयोग किया जा सकेगा ।
4झ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ज.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों (4घ) का समग्र मूल्य और समझे गए निर्यात (4ङ) की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
4ट और 4ठ.	एक कारबार से दूसरे कारबार को किए गए प्रदायों (4ख), निर्यात (4ग), विशेष आर्थिक जोनों को की गई प्रदाय (4घ) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और समझा गया निर्यात (4ङ), जमा पत्र (4झ), नामे नोट (4ज) तथा प्रतिदाय बाउचरों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क और सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा ।
5क.	निर्यात का समग्र मूल्य (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6क का उपयोग किया जा सकेगा ।
5ख.	विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 6ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
5ग.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को की गई प्रदायों का समग्र मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है । नामे नोट और शाख पत्रों के ब्यौरों की घोषणा पृथक् रूप से की जानी है । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 4ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
5घ, 5ङ और 5च.	छूट प्रदान किए गए, शून्य दर तथा गैर जीएसटी प्रदायों की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 8 का उपयोग किया जा सकेगा । "कोई प्रदाय नहीं" का मूल्य (5च) गैर जीएसटी प्रदाय के अधीन घोषित किया जाएगा।
5ज.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी शाख पत्रों के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।
5झ.	5क, 5ख, 5ग, 5घ, 5ङ और 5च में घोषित प्रदायों के संबंध में जारी नामे नोट के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी । इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ख का उपयोग किया जा सकेगा ।

5ज और 5ट.	निर्यात (विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदायों के सिवाय) में किए गए संशोधनों के ब्यौरे और विशेष आर्थिक जोन को की गई प्रदाय यां, जिन पर कर संदत्त नहीं किया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9ग का उपयोग किया जा सकेगा।
5ढ.	कुल आवर्त, जिसके अंतर्गत सभी प्रदायों (अतिरिक्त प्रदायों और संशोधनों सहित) का योग सम्मिलित है, जिस पर कर संदेय है और कर संदेय नहीं है, की यहां घोषणा की जाएगी। इसके अंतर्गत अग्रिम की रकम भी सम्मिलित होगी, जिस पर कर संदत्त किया गया है, किंतु चालू वर्ष में बीजक जारी नहीं किए गए हैं। तथापि, इसमें आवक प्रदायों का ऐसा समग्र मूल्य सम्मिलित नहीं होगा, जिस पर प्राप्तिकर्ता (अर्थात् वार्षिक विवरण फाईल करने वाले व्यक्ति द्वारा) रिर्वस प्रभार आधार पर कर संदत्त किया गया है।

5. भाग III में लिए गए सभी इनपुट कर प्रत्यय और वित्त वर्ष में उलट दिए गए कर प्रत्यय के ब्यौरे हैं, जिनके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की जाती है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए गए अनुसार है :

सारणी सं.	अनुदेश
6क.	करदाता के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4ख में लिए गए कर प्रत्यय को स्वतः यहां दिया जाएगा।
6ख.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, सिवाय उनके जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, किंतु इसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा सकेगा। जिसमें ऐसी आईटीसी सम्मिलित नहीं होगी जिसका उपभोग, रिर्वस किया गया था और तत्पश्चात् आईटीसी लेजर में उसका पुनः दावा किया गया था। इसकी घोषणा नीचे 6(ज) में प्रथक रूप से की जानी चाहिए।
6ग.	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, (सेवाओं के आयात से भिन्न), जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया जा सकेगा।
6घ.	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य, जिन पर कर अनुलोम प्रभार आधार पर संदेय है, की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर इनपुट कर प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(3) का उपयोग किया जा सकेगा।
6ङ.	मालों के आयात पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे, जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त मालों की प्रदाय भी है, की यहां घोषणा की जाएगी। यह नोट किया जा सकता है कि लिए गए कुल इनपुट कर प्रत्यय को इनपुट और पूंजी माल पर इनपुट कर

	प्रत्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(1) का उपयोग किया जा सकेगा।
6च.	सेवाओं के आयात (विशेष आर्थिक जोनों से जावक प्रदायों को अपवर्जित करते हुए) पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(2) का उपयोग किया जा सकेगा।
6छ.	इनपुट सेवा वितरक से प्राप्त इनपुट कर प्रत्यय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(4) का उपयोग किया जा सकेगा।
6ज.	अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपभोग किए गए, उलटे गए और पुनः दावा किए गए इनपुट कर प्रत्यय की समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी।
6ज.	प्ररूप जीएसटीआर-3ख के माध्यम से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय की कुल रकम और पंक्ति ख से ज में घोषित इनपुट कर प्रत्यय के बीच के अंतर की यहां घोषणा की जाएगी। आदर्श रूप में यह रकम शून्य होनी चाहिए।
6ट.	प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1, जिसके अंतर्गत टीआरएएन-1 (चाहे आरोही या अधोमुखी हो) का पुनरीक्षण है, को फाइल करने पर इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों, यदि कोई हों, की यहां घोषणा की जाएगी।
6ठ.	प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-2 को फाइल करने के पश्चात् इलैक्ट्रॉनिक प्रत्यय बही में प्राप्त अंतरण प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी।
6ड	उपभोग किए गए ऐसे आईटीसी के ब्यौरे जो उपरोक्त 6ख से 6ठ के अधीन विनिर्दिष्ट किसी शीर्ष के अंतर्गत नहीं आते हैं, घोषित किए जाएंगे। वित्तीय वर्ष में प्ररूप आईटीसी-01 और प्ररूप-आईटीसी-02 के माध्यम उपभोग किए गए आईटीसी के ब्यौरे यहां घोषित किए जाएंगे।
7क, 7ख, 7ग, 7घ, 7ड, 7च, 7छ और 7ज	बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 37, नियम 39, नियम 42 और नियम 43 के अधीन अपेक्षित पात्र न होने या उलटने के कारण उलटे गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों की यहां घोषणा की जाएगी। इस स्तंभ में केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 17(5) के अधीन उलटे गए किसी इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरे और प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-1 या प्ररूप जीएसटी टीआरएएन-2 के अधीन दावा किए गए अंतरण प्रत्यय, जो पात्र नहीं है, जिसे पश्चातवर्ती रूप से उलट दिया गया है, के ब्यौरे भी अंतर्विष्ट होने चाहिए। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा। प्ररूप आईटीसी-03 के माध्यम से उलटे गए किसी आईटीसी को 7ज में घोषित किया जाएगा। यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4घ में वर्णित रकम प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4क में सम्मिलित नहीं किया गया तो प्ररूप जीएसटी आर-9 की सारणी 7ड में कोई प्रविष्टि नहीं की जानी चाहिए। तथापि, यदि प्ररूप जीएसटी आर-3ख की सारणी 4घ में उल्लिखित रकम प्ररूप जीएसटी आर-3ख की सारणी 4क में सम्मिलित है तो प्रविष्टि प्ररूप जीएसटी आर-09 की 7ड में आएगी।
8क.	वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित और प्ररूप जीएसटी आर-2ख में दर्शाया गया आवक प्रदायों के लिए उपलब्ध प्राप्त कुल प्रत्यय (आयात और अनुलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदायों से भिन्न, किंतु जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जोन से प्राप्त सेवाएं हैं) को इस सारणी में स्वतः दर्शाया जाएगा। यह उन सभी इनपुट कर प्रत्ययों का समग्र होगा, जिनकी तत्स्थानी प्रदाय कारों द्वारा अपने प्ररूप जीएसटीआर-1 में घोषणा की गई है।
8ख.	सारणी 6ख में यथा घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वतः दिखाया जाएगा।

8ग.	सभी आवक प्रदायों पर लिए गए इनपुट कर प्रत्यय का समग्र मूल्य (सिवाय उन, जिन पर अनुलोम प्रभार आधार पर कर संदेय है, किंतु इसमें जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान विशेष आर्थिक जोनों से प्राप्त सेवाओं की प्रदाय) किंतु ऐसे प्रत्यय की, जिसका अप्रैल से सितंबर, 2018 के बीच उपभोग किया गया है, यहां घोषणा की जाएगी। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क)(5) का उपयोग किया जा सकेगा।
8घ	इनपुट कर प्रत्यय, जो प्ररूप जीएसटीआर-2क (केवल सारणी-3 और सारणी-5) में उपलब्ध था किंतु जिसको किसी प्ररूप जीएसटी आर-3ख विवरणी में नहीं लिया गया है, की यहां घोषणा की जाएगी। तथापि, जहां ऐसी परिस्थितियां हों कि प्ररूप जीएसटीआर-2क में उपलब्ध प्रत्यय से प्ररूप जीएसटी आर-3ख में उपभुक्त प्रत्यय अधिक था तो ऐसे मामलों में पंक्ति 8घ में मूल्य नकारात्मक होगा।
8ड और 8च.	प्रत्यय जो उपलब्ध था और प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उपयोग नहीं किया गया और प्ररूप जीएसटीआर-3ख वह उपभोग किए जाने के लिए वह पात्र नहीं था को यहां घोषित किया जाएगा। आदर्श रूप से, यदि 8घ धनात्मक है तो 8ड और 8च का जोड़ 8घ के बराबर होगा।
8छ.	वित्त वर्ष के दौरान आयात के समय संदत्त आईजीएसटी (जिसके अंतर्गत विशेष आर्थिक जाने से आयात हैं) के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी।
8ज.	सारणी 6ड में घोषित इनपुट कर प्रत्यय को यहां स्वतः दर्शित किया जाएगा।
8ट.	कुल इनपुट कर प्रत्यय, जो चालू वित्त वर्ष के लिए व्यपगत हो जाएगा, की इस पंक्ति में संगणना की जाएगी।

6. भाग IV वित्त वर्ष के दौरान संदत्त वास्तविक कर है। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 6.1 के अधीन कर के संदाय का इन ब्यौरों को भरने के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

7. भाग V में पूर्व वित्तीय वर्ष के संव्यवहार की विशिष्टियां अंतर्विष्ट हैं किन्तु जिनकी घोषणा पूर्व वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की प्ररूप जीएसटीआर-3ख में संदत्त या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख को (उदाहरण के लिए वित्तीय 2017-2018 के लिए वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर 2018 में घोषित संव्यवहारों की घोषणा की जाएगी), इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, घोषित किया गया है। भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार हैं:

सारणी सं.	अनुदेश
10 और 11.	पूर्व वित्त वर्ष की विवरणियों में पहले ही घोषित किसी आप्रदाय में वर्धन या संशोधन के ब्यौरे किंतु ऐसे संशोधनों को चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर के प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 9क, सारणी 9ख और सारणी 9ग में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख को, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हों, में घोषित किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे।
12.	इनपुट कर प्रत्यय के उलटने का समग्र मूल्य, जिसको पूर्व वित्त वर्ष के दौरान लिया गया था, किंतु जिसको चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए फाइल विवरणी में उलट दिया गया था या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी पारित करने की तारीख, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, को यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(ख) का उपयोग किया जा सकेगा।
13	पूर्व वित्तीय वर्ष में प्राप्त माल या सेवाओं के आईटीसी के ब्यौरे, किंतु उसका उपभोग आईटीसी चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर मास के लिए या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख तक, इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, फाइल की गई

	विवरणियों में किया गया था, यहां घोषित किए जाएंगे, प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 4(क) का इन ब्यौरों को फाइल किए जाने हेतु उपयोग किया जा सकेगा। तथापि, धारा 16 की उपधारा (2) के परंतुक के अनुसार कोई आईटीसी जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान में उलट दिया गया था परंतु वित्तीय 2018-19 में उसका पुनः दावा किया गया, ऐसे पुनः दावा किए गए आईटीसी के ब्यौरे वित्तीय 2018-19 के लिए वार्षिक विवरणी में दिए जाएंगे।
--	---

8. भाग VI में अन्य सूचना के ब्यौरे हैं। भाग 6 को भरने के लिए अनुदेश नीचे दिए अनुसार हैं :

सारणी सं.	अनुदेश
15क, 15ख, 15ग और 15घ	दावा किए गए, स्वीकृत, अस्वीकृत और प्रसंस्करण के लिए लंबित प्रतिदाय के समग्र मूल्य की यहां घोषणा की जाएगी। दावा किया गया प्रतिदाय वित्तीय वर्ष में फाइल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का समग्र मूल्य होगा और इसके अंतर्गत वह प्रतिदाय हैं, जिन्हें स्वीकार किया गया है, अस्वीकार किया गया है या जो प्रसंस्करण के लिए लंबित हैं। स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का समग्र मूल्य अभिप्रेत है। लंबित प्रतिदाय सभी प्रतिदाय आवेदनों, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त की गई है, की समग्र रकम होगी और इसके अंतर्गत प्राप्त अनंतिम प्रतिदाय नहीं हैं। इसके अंतर्गत गैर-जीएसटी प्रतिदाय दावों के ब्यौरे नहीं हैं।
15ड., 15च और 15छ	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा। पुष्ट की गई मांग के कुल मूल्य पर संदत्त करों का समग्र मूल्य की, जो ऊपर 15ड. में घोषित किया गया है की घोषणा की जाएगी। उपरोक्त 15ड. में लंबित वसूली की मांगों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
16क	संरचना करदाताओं से प्राप्त प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप जीएसटीआर-3ख की सारणी 5 का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा।
16ख	माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धार 143 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के निबंधनानुसार मालिक से फुटकर कामगारों तक सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
16ग	ऐसे मालों के लिए, जिन्हें अनुमोदन आधार पर भेजा गया था किन्तु ऐसे प्रदाय के एक सौ अस्सी दिन के भीतर प्रधान प्रदायकर्ता को वापस नहीं लौटाया गया था, सभी समझे गए प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
17 और 18	विशिष्ट एचएसएन के प्रति किए गए और प्राप्त किए गए प्रदायों का सार केवल इस सारणी में रिपोर्ट किया जाए। यह उन करदाताओं के लिए वैकल्पिक होगा, जिनका वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए तक है। यह ऐसे करदाताओं के लिए दो अंकों वाले स्तर पर एचएसएन कोड को रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा जिनका पूर्ववर्ती वर्ष में वार्षिक आवर्त 1.50 करोड़ रुपए है किन्तु 5.00 करोड़ रुपए तक है और चार अंकों वाले स्तर पर उन करदाताओं के लिए, जिनका वार्षिक आवर्त 5.00 करोड़ रुपए से अधिक है। माल के प्रदाय के लिए यूक्यूसी ब्यौरे ही प्रस्तुत किए जाएं। मात्रा विवरणियों के कुल योग के रूप में रिपोर्ट की जानी है। सारणी-17 में के ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 की सारणी 12 का उपयोग किया जा सकेगा। यह नोट किया जाए कि इसके संक्षिप्त ब्यौरे केवल उन आवक प्रदायों के लिए घोषित किए जाएं जिनका मूल्य आवक प्रदायों के कुल मूल्य से अधिक या स्वतंत्र रूप से लेखा का 10% हो।

19	विलंब फीस संदेय होगी, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है।
----	---

9. विवरणी के अंत में, प्ररूप डीआरसी-03 के माध्यम से इस रूप में घोषित किसी अतिरिक्त उत्तरदायित्व के संदाय का एक विकल्प दिया जाएगा। करदाता प्ररूप डीआरसी-03 में उपलब्ध ड्रॉप डाउन में "वार्षिक विवरणी" का चुनाव करेगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे उत्तरदायित्व केवल इलेक्ट्रॉनिक नगद लेजर के माध्यम से संदत्त किए जाएं।

17. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9क के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--
उपाबंध-ख

संरचना करदाताओं के लिए वार्षिक विवरणी

प्ररूप जीएसटीआर-9क (नियम 80 देखिए) वार्षिक विवरण (संरचना करदाता के लिए)							
भाग. I	आधारिक ब्यौरे						
1	वित्तीय वर्ष						
2	जीएसटीआईएन						
3क	विधिक नाम	<स्व>					
3ख	व्यवसाय नाम (यदि कोई हो)	<स्व>					
4	वर्ष (.....सेतक) के दौरान संरचना स्कीम की अवधि						
5	पूर्व वित्तीय वर्ष का कुल आवर्त						
(सभी सारणियों में रुपए में रकम)							
भाग. II	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे						
	वर्णन	आवर्त	कर की दर	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6	7
6	वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए जावक प्रदायों के ब्यौरे						
क	कराधेय						
ख	छूट प्राप्त, शून्य दर						
ग	कुल						
7	ऐसे आवक प्रदायों के ब्यौरे, जिन पर कर वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिलोम प्रभार आधार (नामे नोट/जमा पत्रों का योग) पर संदेय हैं						
	विवरण	कराधेय मूल्य	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर	
	1	2	3	4	5	6	

क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय					
ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय					
ग	सेवाओं का आयात					
घ	उपरोक्त (क), (ख) और (ग) पर संदेय शुद्ध कर					
8	वित्तीय वर्ष के लिए अन्य आवक प्रदायों के ब्यौरे					
क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक प्रदाय (उपरोक्त 7क से भिन्न)					
ख	माल का आयात					
भाग III	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई विवरणियों में यथा घोषित संदत्त कर के ब्यौरे					
9	वर्णन	कुल संदेय कर		संदत्त		
	1	2		3		
	एकीकृत कर					
	केंद्रीय कर					
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
	उपकर					
	ब्याज					
	विलंब फीस					
	शास्ति					
भाग. IV	चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर की या पूर्व वित्तीय वर्ष की वार्षिक विवरणी के फाईल किए जाने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वत्तर हो, विवरणियों में घोषित पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए संव्यवहारों की विशिष्टियां					
	वर्णन	आवर्त	केंद्रीय कर	राज्य कर/ संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
	1	2	3	4	5	6
10	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रदायों/कर (जावक) (+) (नामे नोटों का योग)					
11	संशोधनों के माध्यम से घोषित प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (+) (नामे नोटों का योग)					
12	संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रदाय/कर (जावक) (-) (जमा पत्रों का योग)					

13	संशोधनों के माध्यम से कटौती किए गए प्रतिलोम प्रभार के लिए दायी आवक प्रदाय (-) (जमा पत्रों का योग)							
14	उपरोक्त 10, 11, 12 और 13 में की गई घोषणा के मद्दे संदत्त अंतरीय कर							
	वर्णन			संदेय		संदत्त		
	1			2		3		
	एकीकृत कर							
	केंद्रीय कर							
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर							
	उपकर							
	ब्याज							
भाग. V	अन्य जानकारी							
15	मांग और प्रतिदायों की विशिष्टियां							
	वर्णन	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत	उपकर	ब्याज	शास्ति	विलंब फीस/अन्य
	1	2	3	4	5	6	7	8
क	दावा किया गया कुल प्रतिदाय							
ख	स्वीकृत कुल प्रतिदाय							
ग	अस्वीकृत कुल प्रतिदाय							
घ	लंबित कुल प्रतिदाय							
ड.	करों की कुल मांग							
च	उपरोक्त ड. के संबंध में संदत्त कुल कर							
छ	उपरोक्त ड. के कारण लंबित कुल मांग							

16	उलटा गया या उपभुक्त प्रत्यय के ब्यौरे				
	वर्णन	केंद्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत	उपकर
	1	2	3	4	5
क	संरचना स्कीम में विकल्प लेने पर उलटा गया प्रत्यय (-)				
ख	संरचना स्कीम के कारण विकल्प लेने पर उपभुक्त प्रत्यय (+)				
17	संदेय और संदत्त विलंब फीस				
	वर्णन	संदेय	संदत्त		
	1	2	3		
क	केंद्रीय कर				
ख	राज्य कर				

सत्यापन :

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं और यह घोषणा करता हूं कि इसमें ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है तथा इसमें से कोई बात छिपाई नहीं गई है और आउटपुट कर दायित्व में किसी कटौती की दशा में, उसका फायदा प्रदाय के प्राप्तिकर्ता को संक्रान्त कर दिया गया है/कर दिया जाएगा ।

स्थान :

तारीख :

हस्ताक्षर
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
पदनाम/प्रास्थिति

अनुदेश :--

1. इस विवरणी को भरने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने सभी प्ररूप जीएसटीआर-4 फाइल करना आज्ञापक है। जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की समयावधि के ब्यौरे इस विवरणी में उपलब्ध करवाए जाएंगे।
2. यह नोट किया जाए कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अतिरिक्त उत्तरदायित्व जो प्ररूप जीएसटीआर-4 में घोषित नहीं किया गया हो, इस विवरणी में घोषित किया जाए।
3. भाग I में करदाता के आधारिक ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं । भाग I को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं०	अनुदेश
5	पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए कुल आवर्त उस वर्ष के, जिसके लिए विवरणी फाइल की जा रही है, पूर्व वित्तीय वर्ष का आवर्त है। उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक विवरणी हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के कुल आवर्त को इस सारणी में प्रविष्ट किया जाएगा। यह उसी स्थायी लेखा संख्यांक पर रजिस्ट्रीकृत सभी करदाताओं का आवर्त है।

4. भाग II में उस वित्तीय वर्ष, जिसके लिए वार्षिक विवरणी फाइल की गई है, में सभी जावक और आवक प्रदायों के ब्यौरे हैं। भाग II को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं०	अनुदेश
6क	सभी जावक प्रदायों का कुल मूल्य, कुल नामे नोटों/जमा पत्रों का योग, संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए अग्रिमों का योग और वापस किए गए माल का योग यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 6 और सारणी 7 का उपयोग किया जा सकेगा।
6ख	छूट प्राप्त, शून्य दर और गैर-माल और सेवाकर प्रदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
7क	रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रतिलोम प्रभार आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4ख, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकेगा।
7ख	अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों (सेवाओं के आयात से भिन्न) का कुल मूल्य, उलटे गए प्रभार के आधार पर संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4ग, सारणी 5 और सारणी 8क का उपयोग किया जा सकेगा।
7ग	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात की गई सभी सेवाओं का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4घ और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकेगा।
8क	ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से प्राप्त सभी आवक प्रदायों का कुल मूल्य, जिस पर कर प्रदायकर्ता द्वारा संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा। इन ब्यौरों को भरने के लिए प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 4क और सारणी 5 का उपयोग किया जा सकेगा।
8ख	वित्तीय वर्ष के दौरान आयात किए गए सभी माल का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।

5. भाग IV में चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर में या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरण फाइल करने की तारीख (उदाहरण के लिए वित्तीय वर्ष 2017-2018 के वार्षिक विवरणी में वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए अप्रैल से सितंबर में घोषित संव्यवहारों को घोषित किया जाएगा)। इनमें से जो भी पूर्वतत्तर हो, कि विवरणी में पूर्व वित्तीय वर्ष के प्रदायों के लिए किए गए संशोधनों के ब्यौरे अंतर्विष्ट हैं। भाग V को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं०	अनुदेश
10, 11, 12, 13 और 14	ऐसे किन्हीं प्रदायों के परिवर्धनों या संशोधनों के ब्यौरे, जिन्हें पूर्व वित्तीय वर्ष की विवरणियों में पहले घोषित किया गया था किन्तु ऐसे संशोधनों, चालू वित्तीय वर्ष के अप्रैल से सितंबर या पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी फाइल करने की तारीख तक इनमें से जो भी पूर्वोक्त हो, के प्ररूप जीएसटीआर-4 की सारणी 5 (आवक प्रदायों से संबंधित) या सारणी-7 (जावक प्रदायों से संबंधित) में दिए गए थे, यहां प्रस्तुत किए जाएंगे।

6. भाग V में अन्य जानकारी के ब्यौरे हैं। भाग 5 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :

सारणी सं०	अनुदेश
15क, 15ख, 15ग और 15घ	प्रसंस्करण के लिए दावाकृत, स्वीकृत, अस्वीकृत और लंबित प्रतिदायों का कुल मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। दावाकृत प्रदाय वित्तीय वर्ष में फाइल किए गए सभी प्रतिदाय दावों का कुल मूल्य होगा और इसमें ऐसे प्रतिदाय भी सम्मिलित होंगे जिन्हें प्रसंस्करण के लिए स्वीकृत, अस्वीकृत किया गया है या लंबित हैं। स्वीकृत प्रतिदाय से सभी प्रतिदाय स्वीकृति आदेशों का कुल मूल्य अभिप्रेत है। लंबित प्रतिदाय ऐसे सभी प्रतिदाय आवेदनों में कुल रकम होगी, जिनके लिए अभिस्वीकृति प्राप्त कर ली गई है और इसमें प्राप्त किया गया अनंतिम प्रतिदाय नहीं होगा। इनमें गैर-माल और सेवाकर प्रतिदाय दावों के ब्यौरे सम्मिलित नहीं होंगे।
15ड., 15च और 15छ	ऐसे करों की मांगों के कुल मूल्य, जिसके लिए न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा मांगों की पुष्टि करने वाला आदेश जारी किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा। उपरोक्त 15ड में पुष्ट की गई मांगों के कुल मूल्य में से संदत्त करों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा।
16क	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के अधीन कर देने का चयन करता है तो उलटे गए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप आईटीसी-03 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा।
16ख	यदि कोई व्यक्ति संरचना स्कीम के बाह्य कर देने का चयन करता है तो उपभोग किए सभी प्रत्ययों का संकलित मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। प्ररूप आईटीसी-01 में दिए गए ब्यौरों का उपयोग इन ब्यौरों को भरने के लिए किया जा सकेगा।
17	विलंब शुल्क देय होगा, यदि वास्तविक विवरणी देय तारीख के पश्चात् फाइल की जाती है।

7. विवरणी के अंत में, प्ररूप डीआरसी-03 के माध्यम से, इस प्ररूप में घोषित किसी अतिरिक्त उत्तरदायित्व के संदाय का एक विकल्प दिया जाएगा। करदाता प्ररूप डीआरसी-03 में उपलब्ध ड्रॉप डाउन में "वार्षिक विवरणी" का चुनाव करेगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे उत्तरदायित्व केवल इलेक्ट्रॉनिक नगद लेजर के माध्यम से संदत्त किए जाएंगे।

18. उक्त नियमों में, प्ररूप जीएसटीआर-9ग के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:--

“प्ररूप जीएसटीआर-9ग

नियम 80(3) देखें

भाग क-समाधान विवरण

भाग. I		मूलभूत ब्यौरे	
1	वित्तीय वर्ष		
2	जीएसटीआईएन		
3क	विधिक नाम	<स्व>	
3ख	व्यापार नाम (यदि कोई हो)	<स्व>	
4	क्या आप किसी अधिनियम के अधीन किसी संपरीक्षा के दायी हैं ? <<कृपया विनिर्दिष्ट करें>>		
		(सभी सारणियों में रकम रूप में)	
भाग. II		वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित आवर्त सहित वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण में घोषित आवर्त का समाधान	
5	सकल आवर्त का समाधान		
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण	राज्य/संघराज्यक्षेत्र के लिए संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार आवर्त (जिसके अन्तर्गत निर्यात भी हैं) (उसी स्थायी लेखा संख्यांक के अधीन बहु-जीएसटीआईएन यूनिटों के लिए आवर्त वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण से प्राप्त किया जाएगा)		
	वित्तीय वर्ष के आरम्भ में बिना तैयार किए गए बिल का राजस्व	(+)	
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर असमायोजित अग्रिम	(+)	
	अनुसूची-1 के अधीन समझा गया प्रदाय	(+)	
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् जारी साख पत्र, किन्तु जो वास्तविक रिटर्न में परिलक्षित हैं	(+)	
	व्यापार बड़ा, जिनका संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण में लेखा जोखा दिया गया है, किंतु माल और सेवा कर के अधीन अनुज्ञेय नहीं है	(+)	
	अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक आवर्त	(-)	
	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बिना तैयार किए गए बिल वाला राजस्व	(-)	
	वित्तीय वर्ष के आरम्भ में असमायोजित अग्रिम	(-)	
	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरण में लेखा-जोखा दिए गए साख पत्र, किन्तु जो माल और सेवा कर के अधीन अनुज्ञेय नहीं है	(-)	
	एसईजेड यूनिटों द्वारा डीटीए यूनिटों तक माल के प्रदाय के मद्दे समायोजन	(-)	
	कंपोजिशन स्कीम के अधीन अवधि के लिए आवर्त	(-)	
	धारा 15 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन आवर्त में समायोजन	(+/-)	
	विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण आवर्त में समायोजन	(+/-)	
उपरोक्त सूचीबद्ध न किए गए कारणों से आवर्त में समायोजन	(+/-)		

त थ द	उपरोक्त समायोजनों के पश्चात् वार्षिक आवर्त				<स्व>	
	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में यथाघोषित आवर्त					
	असमाधानकृत आवर्त (थ-त)				एटी1	
6	वार्षिक सकल आवर्त में असमाधानकृत अन्तर के लिए कारण					
क ख ग	कारण 1		<<पाठ>>			
	कारण 2		<<पाठ>>			
	कारण 3		<<पाठ>>			
7	कराधेय आवर्त का समाधान					
क ख ग घ ङ च	समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त (उपरोक्त 5त से)				<स्व>	
	छूट प्राप्त, शून्य दर, गैर माल और सेवा कर प्रदायों, प्रदाय नहीं आवर्त का मूल्य					
	कर के संदाय के बिना शून्य दर प्रदाय					
	ऐसे प्रदाय, जिन पर कर का संदाय प्रतिलोम प्रभार आधार पर प्राप्तिकर्ता द्वारा किया जाना है।					
	उपरोक्त समायोजनों के अनुसार कराधेय आवर्त (क - ख - ग - घ)				<स्व>	
	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआरएन-9) में घोषित दायित्व के अनुसार कराधेय आवर्त					
छ	असमाधानकृत कराधेय आवर्त (च-ङ)				एटी 2	
8	कराधेय आवर्त में असमाधानकृत अन्तर के लिए कारण					
क ख ग	कारण 1		<<पाठ>>			
	कारण 2		<<पाठ>>			
	कारण 3		<<पाठ>>			
भाग. III	संदत्त कर का समाधान					
9	दर-वार दायित्व तथा उस पर संदेय रकम का समाधान					
क ख ग घ ङ च छ ज झ			संदेय कर			
	वर्णन	कराधेय मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि लागू हो
	1	2	3	4	5	6
	5%					
	5% (आरसी)					
	12%					
	12% (आरसी)					
	18%					
	18% (आरसी)					
	28%					
	28% (आरसी)					
	3%					

ज ट ठ ड ढ ण	0.25%					
	0.10%					
	ब्याज					
	विलम्ब शुल्क					
	शास्ति					
	अन्य					
	त	उपरोक्त सारणियों के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम		<स्व>	<स्व>	<स्व>
थ	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में यथाघोषित संदत्त कुल रकम					
द	रकम का असमाधानकृत संदाय (पीटी 1)					
10	रकम के असमाधानकृत संदाय के लिए कारण					
क ख ग	कारण 1	<<पाठ>>				
	कारण 2	<<पाठ>>				
	कारण 3	<<पाठ>>				
11	अतिरिक्त संदेय रकम, किन्तु संदत्त नहीं की गई रकम (उपरोक्त सारणी 6, 8 और 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से)					
			नकदी के माध्यम से संदत्त किया जाए			
	वर्णन	कराधेय मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि कोई हो
	1	2	3	4	5	6
	5%					
	12%					
	18%					
	28%					
	3%					
	0.25%					
	0.10%					
	ब्याज					
	विलम्ब शुल्क					
	शास्ति					
	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					
भाग. IV	इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान					
12	शुद्ध इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) का समाधान					
क	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के लिए संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों के अनुसार लाभ लिया गया इनपुट कर प्रत्यय (एक ही स्थायी लेखा संख्यांक के अधीन बहु जीएसटीआईएन यूनिटों के लिए इसे लेखाबहियों से प्राप्त किया जाना चाहिए)					

ख	चालू वित्तीय वर्ष में दावा किए गए पूर्व वित्तीय वर्षों में बुक किए गए इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)	(+)	
ग	पश्चातवर्ती वित्तीय वर्ष में दावा किए जाने वाले चालू वित्तीय वर्षों में बुक किए गए इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)	(-)	
घ	संपरीक्षित वित्तीय विवरणों या लेखाबहियों के अनुसार लाभ लिया गया शुद्ध प्रत्यय कर		<स्व>
ङ	वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में दावाकृत इनपुट कर प्रत्यय		
च	असमाधानकृत इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी)		आईटीसी 1
13	इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) में असमाधानकृत अंतर के कारण		
क	कारण 1	<<पाठ>>	
ख	कारण 2	<<पाठ>>	
ग	कारण 3	<<पाठ>>	
14	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों या लेखा बहियों के अनुसार खर्चों पर लाभ लिए गए आईटीसी सहित वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित आईटीसी का समाधान		
क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त	विवरण	मूल्य	आईटीसी की कुल रकम
	1	2	3
	क्रय		
	भाड़ा/ढुलाई		
	ऊर्जा और ईंधन		
	आयातित माल (एसईजेड से प्राप्त समेत)		
	किराया और बीमा		
	खोई हुई, चोरी हुई, नष्ट हुई, बड़े खाते में डाली गई या उपहार या मुफ्त सैंपलों के रूप में दिए गए माल		
	स्वामिस्व		
	कर्मचारियों की लागत (वेतन, मजदूरी, बोनस आदि ।)		
	प्रवहण प्रभार		
	बैंक प्रभार		
	मनोरंजन प्रभार		
	लेखन सामग्री व्यय (डाक आदि सहित)		
	मरम्मत और अनुरक्षण		
	अन्य प्रकीर्ण व्यय		
	पूंजी माल		
कोई अन्य व्यय 1			

थ	कोई अन्य व्यय 2					
द	उपभुक्त पात्र आईटीसी की कुल रकम			<<स्व>>		
ध	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में दावाकृत आईटीसी					
न	असमाधानकृत (आईटीसी 2)					
15	आईटीसी में असमाधानकृत अंतर के कारण					
क	कारण 1	<<पाठ>>				
ख	कारण 2	<<पाठ>>				
ग	कारण 3	<<पाठ>>				
16	आईटीसी में असमाधानकृत अंतर पर संदेय कर (ऊपर 13 और 15 में विनिर्दिष्ट कारणों से)					
	वर्णन	संदेय रकम				
	केन्द्रीय कर					
	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर					
	एकीकृत कर					
	उपकर					
	ब्याज					
	शास्ति					
भाग. V	गैर-समाधान के कारण अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश					
			नकदी के माध्यम से संदेय			
	वर्णन	मूल्य	केन्द्रीय कर	राज्य कर/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर, यदि लागू हो
	1	2	3	4	5	6
	5%					
	12%					
	18%					
	28%					
	3%					
	0.25%					
	0.10%					
	इनपुट कर प्रत्यय					
	ब्याज					
	विलम्ब शुल्क					
	शास्ति					
	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में सम्मिलित नहीं किए गए					

प्रदायों के लिए संदत्त कोई अन्य रकम					
वापस संदाय के लिए त्रुटिपूर्ण प्रतिदाय					
परिनिर्धारित की जाने वाली बकाया मांगे					
अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)					

रजिस्ट्रकृत व्यक्ति का सत्यापन:

मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ कि संपरीक्षा द्वारा तैयार और सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप जीएसटीआर-9 में समाधान विवरण में अपलोड कर रहा हूँ और इस विवरण में मेरे द्वारा कोई छेड़छाड़ या परिवर्तन नहीं किया गया है। मैं अन्य विवरण, यथालागू, जिसके अंतर्गत वित्तीय विवरण, लेखा लाभ और हानि और तुलनपत्र आदि भी हैं, भी अपलोड कर रहा हूँ।

हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम

पदनाम/प्रास्थिती

अनुदेश :-

1. प्रयोग किए गए निबंधन :
(क) जीएसटीआईएन : माल और सेवा कर पहचान संख्या
2. इस विवरणी को भरने से पूर्व वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपने सभी प्ररूप जीएसटीआर-01, प्ररूप जीएसटीआर-3ख और प्ररूप जीएसटीआर-9 भरने आज्ञापक है। जुलाई, 2017 से मार्च, 2018 के बीच की अवधि के लिए ब्यौरे वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए इस विवरण में दिए जाएं। समाधान विवरण प्रत्येक जीएसटीआईएन के लिए पृथक् रूप से फाइल किया जाए।
3. इस विवरण में चालू वित्तीय वर्ष के प्रति निर्देश, उस वित्तीय वर्ष से है, जिसके लिए समाधान विवरण फाइल किया जा रहा है।

4. भाग-2 इस जीएसटीआईएन के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9 के अधीन प्रस्तुत वार्षिक रिटर्न में यथाघोषित आवर्त सहित संपरीक्षित वार्षिक विवरणों में घोषित वार्षिक आवर्त के समाधान से मिलकर बना है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार है :

सारणी सं0	अनुदेश
5क	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार आवर्त यहां घोषित किया जाएगा। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण एक ही स्थायी लेखा संख्या पर विद्यमान है। यह बहु राज्यों पर विद्यमानता वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के लिए सामान्य है। ऐसे व्यक्तियों/अस्तित्वों को अपना जीएसटीआईएन वार आवर्त आंतरिक रूप से प्राप्त करना होगा और उसे यहां घोषित करना होगा। इसके अंतर्गत निर्यात आवर्त (यदि कोई हो) भी होगा। यह नोट किया जाए कि संपरीक्षित वित्तीय विवरण के प्रति निर्देश के अंतर्गत बहुराज्यों पर विद्यमानता रखने वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के मामले में लेखाबहियों के प्रति निर्देश भी है।
5ख	ऐसा बिना तैयार किया गया बिल वाला राजस्व, जो पिछले वित्तीय वर्ष में लेखांकन की प्रोद्घवन प्रणाली आधार पर लेखाबहियों में अभिलिखित किया गया था, और चालू वित्तीय वर्ष में अग्रणीत किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा। अन्य शब्दों में, जब वस्तु और माल सेवा कर ऐसे राजस्व (जो पहले मान्यताप्राप्त था) पर वित्तीय वर्ष के दौरान संदेय है, तब ऐसे राजस्व का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। (उदाहरणार्थ, यदि वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विद्यमान बिना तैयार किए गए बिल वाला राजस्व दस करोड़ रुपए का है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, ऐसे राजस्व के चार करोड़ रुपए पर वस्तु और सेवा कर का संदाय किया गया है तो चार करोड़ रुपए का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा)।
5ग	ऐसे सभी अग्रियों का मूल्य, जिनके लिए माल और सेवा कर का संदाय किया गया है, किंतु उसे संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणों में राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा।
5घ	बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की अनुसूची-1 के अधीन समझे गए प्रदायों का मूल्य यहां घोषित किया जाएगा। समझा गया ऐसा कोई प्रदाय, जो वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय विवरणों में आवर्त का पहले से ही भाग है, उसे यहां सम्मिलित किया जाना अपेक्षित नहीं है।
5ङ	चालू वित्तीय वर्ष में सम्मिलित किसी प्रदाय के लिए 31 मार्च के पश्चात् जारी प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, किंतु ऐसे प्रत्यय नोट वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर-9) में परिलक्षित हुए थे, यहां घोषित किया जाएगा।
5च.	व्यापार छूटें, जिसका वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में लेखा जोखा दिया गया है किंतु इन पर माल और सेवा कर उदग्रहणीय था (अनुज्ञेय नहीं), यहां घोषित की जाएंगी।
5छ.	अप्रैल, 2017 से जून, 2017 तक वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में सम्मिलित आवर्त यहां घोषित किया जाएगा।
5ज.	चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बिल नहीं किया गया राजस्व, जो लेखा के उदभूत तंत्र के आधार पर लेखा बहियों में अभिलिखित किया गया था किंतु उसी वित्तीय वर्ष में ऐसे राजस्व पर माल और सेवा कर संदेय नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा।

5झ.	सभी अग्रिमों का मूल्य, जिसके लिए माल और सेवा कर संदत्त नहीं किया गया है, किंतु जिसे वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में राजस्व के रूप में मान्यता दी गई है, यहां घोषित किया जाएगा ।
5ज.	प्रत्यय नोटों का सकल मूल्य, जिसका लेखा जोखा संपरीक्षित वार्षिक वित्तीय कथनों में दिया गया है किंतु यह बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 34 के अधीन अनुज्ञेय नहीं था, यहां घोषित किया जाएगा ।
5ट.	एसईजेड द्वारा डीटीए यूनिटों को प्रदाय किए गए सभी मालों का सकल मूल्य, जिसके लिए डीटीए यूनिटों ने प्रविष्टि बिल फाइल किया है, यहां घोषित किया जाएगा ।
5ठ.	ऐसे मामले हो सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संघटक स्कीम से बाहर होने का विकल्प ले सकते हैं । वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन के अनुसार उनके आवर्त में संघटक करदाता के साथ-साथ सामान्य करदाता, दोनों के रूप में आवर्त सम्मिलित होगा । इसलिए, वह आवर्त, जिसके लिए संघटक स्कीम के अधीन माल और सेवा संदत्त किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा ।
5ड.	ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बिहार माल और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 15 के और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मूल्यांकन सिद्धांतों के कारण कराधेय मूल्य और बीजक मूल्य में अंतर हो सकता है । इसलिए, वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर के कारण प्रदायों का मूल्यांकन यहां घोषित किया जाएगा ।
5ढ.	विदेशी विनिमय घटबढ़ के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर, यहां घोषित किया जाएगा ।
5ण.	ऊपर सूचीबद्ध नहीं किए गए कारणों के कारण वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) तथा वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में रिपोर्ट किए गए आवर्तों के बीच अंतर, यहां घोषित किया जाएगा ।
5थ.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित किया गया वार्षिक आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा । यह आवर्त वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) के क्रम संख्यांक 5द, 10 और 11 से व्युत्पन्न हो सकेगा ।
6.	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथनों में घोषित वार्षिक आवर्त और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आवर्त के बीच गैर-समाधान के कारणों को यहां विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।
7.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित कराधेय आवर्त के साथ समायोजन के पश्चात् संपरीक्षित वार्षिक आवर्त से कराधेय आवर्त के समाधान के लिए सारणी उपबंध करती है ।
7क.	सारणी 5त में यथा व्युत्पन्न वार्षिक विवरणी बिना हस्तक्षेप के यहां भरी जाएगी ।
7ख.	छूट प्राप्त, शून्य दर, गैर-माल और सेवा कर और प्रदाय बिना आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा । इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा ।
7ग.	शून्य दर प्रदाय का मूल्य (एसईजेड को प्रदाय समेत) जिस पर कर संदत्त नहीं किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा । इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा ।

7घ.	विपरित प्रभार प्रदाय का मूल्य, जिस पर प्राप्तिकर्ता द्वारा कर का संदाय किया जाना है, यहां घोषित किया जाएगा। इसमें प्रत्यय नोटों, नामे नोट और संशोधनों, यदि कोई हों, को रिपोर्ट किया जाएगा।
7ड.	कराधेय आवर्त को ऊपर सारणी 7क में घोषित समायोजन के पश्चात् वार्षिक आवर्त और सारणी 7ख, सारणी 7ग और सारणी 7घ में ऊपर घोषित सभी प्रदायों के कुल मूल्य (छूट प्राप्त, गैर-माल और सेवा कर, विपरित प्रभार आदि) के बीच अंतर के रूप में व्युत्पन्न माना जाता है।
7च.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी (4ढ-4छ)+(10-11) में घोषित किया गया कराधेय आवर्त, यहां घोषित किया जाएगा।
8.	समायोजित वार्षिक कराधेय आवर्त, जैसा ऊपर सारणी 7ड से व्युत्पन्न है और सारणी 7च में घोषित कराधेय आवर्त के बीच गैर-समाधान के कारणों को यहां विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

5. भाग 3 समाधान कथन में घोषणा के अनुसार संदेय कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित वास्तविक संदत्त कर से मिलकर बना है। इस भाग को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

सारणी सं.	अनुदेश
9.	सारणी समाधान कथन के अनुसार संदत्त कर के समाधान और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित संदत्त कर की रकम का उपबंध करती है। "आरसी" के रूप में चिह्नित मद के अधीन प्रदाय, जहां प्राप्तिकर्ता (अर्थात् वह व्यक्ति, जिसके लिए समाधान कथन तैयार किया गया है) द्वारा कर का संदाय विपरित प्रभार के आधार पर किया गया था, यहां घोषित किया जाएगा।
9त.	सारणी 9क से 9ण में घोषित दायित्व के अनुसार संदत्त की जाने वाली कुल रकम यहां बिना हस्तक्षेप के भरी जाएगी।
9थ.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 9 में घोषित संदेय रकम, यहां घोषित की जाएगी। इसमें वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 10 या 11 में संदत्त कोई अंतर वाला कर भी अंतर्विष्ट होना चाहिए।
10.	ऊपर सारणी 9त में घोषित संदेय/दायित्व के बीच गैर-समाधान के लिए कारण तथा सारणी 9थ में संदेय रकम यहां विनिर्दिष्ट की जाएगी।
11.	ऊपर सारणी 6, 8 और 10 के अधीन विनिर्दिष्ट कारणों से संदेय कोई रकम, यहां घोषित की जाएगी।

6. भाग 4 इनपुट कर प्रत्यय (आईटीसी) के समाधान से मिलकर बना है। भाग 4 को भरने के लिए अनुदेश निम्नानुसार हैं :-

सारणी सं.	अनुदेश
12क.	संपरीक्षित वित्तीय कथनों के अनुसार उपभोग की गई आईटीसी (प्रत्यागम के पश्चात्), यहां घोषित की जाएगी। ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां बहु जीएसटीआईएन (राज्यवार) रजिस्ट्रीकरण एक ही पीएएन पर विद्यमान हो सकते हैं। यह कई राज्यों में उपस्थिति वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के लिए सामान्य हैं। ऐसे व्यक्ति/अस्तित्व को प्रत्येक व्यष्टिक जीएसटीआईएन के लिए अपनी आईटीसी आंतरिक रूप से व्युत्पन्न करनी होगी और उसे यहां घोषित करना होगा। यहां यह उल्लेखनीय है कि संपरीक्षित

	वित्तीय कथन के प्रतिनिर्देश में कई राज्यों में उपस्थिति रखने वाले व्यक्तियों/अस्तित्वों के मामले में लेखा बहियों के प्रतिनिर्देश सम्मिलित है।
12ख.	कोई आईटीसी, जिसे पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के संपरीक्षित वित्तीय कथनों में लेखबद्ध किया गया किंतु उसका उपभोग उस वित्तीय वर्ष के आईटीसी लेजर में किया गया, जिसके लिए समाधान कथन फाइल किया जा रहा है, यहां घोषित किया जाएगा। इसमें वह संक्रमण प्रत्यय भी सम्मिलित होगा, जिसे पूर्ववर्ती वर्षों में लेखबद्ध किया गया था किंतु उसका उपभोग वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान किया गया।
12ग.	कोई आईटीसी, जिसे चालू वित्तीय वर्ष के वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन में लेखबद्ध किया गया है किंतु जिसका प्रत्यय उक्त वित्तीय वर्ष के लिए आईटीसी लेजर में नहीं किया गया है, यहां घोषित किया जाएगा।
12घ.	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखाबहियों के अनुसार उपभोग आईटीसी, जो ऊपर सारणी 12क, 12ख और 12ग में घोषित मूल्यों से व्युत्पन्न है, यहां बिना हस्तक्षेप के भरा जाएगा।
12ङ.	वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) की सारणी 7अ में घोषित उपयोग के लिए उपलब्ध कुल आईटीसी, यहां घोषित किया जाएगा।
13.	वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों (सारणी 12घ) और वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में उपभोग कुल आईटीसी (सारणी 12ङ) के अनुसार आईटीसी के गैर-समाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
14.	यह सारणी वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में लेखबद्ध व्ययों के लिए वार्षिक विवरणी (जीएसटीआर 9) में घोषित आईटीसी के समाधान के लिए है। इस सारणी के अधीन विनिर्दिष्ट विभिन्न उपमद वार्षिक संपरीक्षित वित्तीय कथन या लेखा बहियों में साधारण व्यय हैं, जिन पर आईटीसी का उपभोग किया या नहीं किया जा सकेगा और, यह मदों की केवल एक प्रतिकारत्मक सूची है, जिसके अधीन व्ययों को साधारणतया लेखबद्ध किया जाता है। करदाता इनमें से किन्हीं मदों को जोड़ या हटा सकते हैं किंतु व्ययों के सभी मद, जिन पर माल और सेवा कर का संदाय किया गया है/संदेय है, यहां घोषित किया जाएगा।
14द.	सारणी 14क से 14थ तक घोषित कुल आईटीसी, जहां बिना हस्तक्षेप के भरी जाएगी।
14ध.	वार्षिकी विवरण (जीएसटीआर 9) में घोषित उपभोग की गई कुल आईटीसी यहां घोषित की जाएगी। वार्षिकी विवरण (जीएसटीआर 9) की सारणी 7अ को इस सारणी को फाइल करने के लिए प्रयोग किया जा सकेगा।
15.	सारणी 12द में घोषित विभिन्न व्ययों पर उपभोग की गई आईटीसी और सारणी 12ध में घोषित आईटीसी के बीच गैर-समाधान के कारण यहां विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।
16.	सारणी 13 और सारणी 15 में ऊपर विनिर्दिष्ट कारणों के कारण संदेय कोई रकम, यहां घोषित की जाएगी।

7. भाग 5 आवर्त के गैर-समाधान या इनपुट कर प्रत्यय के गैर-समाधान के कारण करदाता द्वारा निर्मोचित किए जाने वाले अतिरिक्त दायित्व पर संपरीक्षक की सिफारिश से मिलकर बना है। संपरीक्षक यह भी सिफारिश करेगा कि क्या प्रदाय के लिए संदत्त की जाने वाली कोई और रकम वार्षिक विवरणी में सम्मिलित नहीं है। कोई प्रतिदाय, जिसे त्रुटिपूर्ण ढंग से लिया गया है और जिसे सरकार को वापस संदाय किया जाएगा, उसे भी इस सारणी में

घोषित किया जाएगा। अंतः में कोई अन्य बकाया मांगे, जिनके निपटारे की सिफारिश संपरीक्षक द्वारा की गई है, इस सारणी में घोषित की जाएंगी।

8. विवरणी के अंत में, प्ररूप डीआरसी-03 के माध्यम से, इस प्ररूप में घोषित किसी अतिरिक्त उत्तरदायित्व के संदाय का एक विकल्प दिया जाएगा। करदाता प्ररूप डीआरसी-03 में उपलब्ध ड्रॉप डाउन में "समाधान विवरण" का चुनाव करेगा। यह नोट किया जाए कि ऐसे उत्तरदायित्व केवल इलेक्ट्रॉनिक नगद लेजर के माध्यम से संदत्त किए जाएंगे।

"भाग-ख - प्रमाणीकरण

1. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :

* मैंने/हमने--

- (क) को तुलन-पत्र की ;
- (ख) से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाख और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा की ;
- (ग) यहां संलग्न से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन, मैसर्स (नाम) (पता) (जीएसटीआईएन) की ;

परीक्षा कर ली है।

2. हमारी संपरीक्षा के आधार पर मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति--

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/⟨⟨⟩⟩माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है।

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/⟨⟨⟩⟩माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है।

1.

2.

3.

3. (क) * मैं/हम निम्नलिखित प्रेक्षकों/टिप्पणियों/कमियों/असंगतताओं, यदि कोई हों, को रिपोर्ट करते हैं :

.....

.....

3. (ख) *मैं/हम यह और रिपोर्ट करते हैं कि,--

(अ) *मैंने/हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार संपरीक्षा/जानकारी और स्पष्टीकरणों के लिए आवश्यक थे, जो मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे, हमें प्रदान नहीं किए गए/आंशिक रूप से प्रदान किए गए ।

(आ) मेरी/हमारी राय में जहां तक बहियों के मेरी/हमारी परीक्षा से प्रकट होता है, रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा ढंग से लेखा बहियों को रखा गया है/नहीं रखा गया है ।

(इ) मैं/हम यह प्रमाणित करते हैं कि तुलन-पत्र, लाभ और हानि/आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह कथन राज्य के भीतर पर कारबार के मुख्य स्थान और कारबार के अतिरिक्त स्थान पर रखी गई लेखा बहियों के अनुसार हैं/के अनुसार नहीं हैं ।

4. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम /बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है ।

5. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षकों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यक्षीन उक्त प्रारूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है :

(क)

(ख)

(ग)

.....

.....

** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)

स्थान :

हस्ताक्षरी का नाम

सदस्यता सं.

तारीख :

पूरा पता

II. उन मामलों में प्रमाणीकरण, जहां समाधान कथन (प्ररूप जीएसटीआर 9ग) उस व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाता है, जिसने संपरीक्षा का संचालन किया है :

* मैं/हम रिपोर्ट करते हैं कि मैसर्स (जीएसटीआईएन के साथ निर्धारिती का नाम और पता) की लेखा बहियों और वित्तीय कथनों की संपरीक्षा अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में सदस्यता सं. धारण करने वाले मैसर्स (प्रास्थिति के साथ संपरीक्षक का पूरा नाम और पता) द्वारा की गई थी, और * मैं/हम निम्नलिखित की एक प्रति के साथ तारीख को उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति इसके साथ संलग्न करते हैं ।

(क) को तुलन-पत्र ;

(ख) से आरंभ होने वाले और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए * लाभ और हानि लेखा और/आय और व्यय लेखा ;

(ग) से आरंभ होने वाली और को समाप्त होने वाली अवधि के लिए नकद प्रवाह कथन ; और

(घ) उक्त अधिनियम द्वारा *लाभ और हानि लेखा/आय और व्यय लेखा तथा तुलन-पत्र के भाग के रूप में या उससे संलग्न घोषित किए गए दस्तावेज ।

2. मैं/हम यह रिपोर्ट करते हैं कि उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति—

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/⟨⟨⟩⟩माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को रखा है ।

* ने एकीकृत माल और सेवा कर/केंद्रीय माल और सेवा कर/⟨⟨⟩⟩माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और उसके अधीन बनाए गए नियमों/जारी की गई अधिसूचनाओं द्वारा यथा अपेक्षित लेखा बहियों, अभिलेखों और दस्तावेजों को नहीं रखा है ।

1.

2.

3.

3. केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 35(5) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेज और केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम/बिहार माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 44(2) के अधीन प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित समाधान कथन प्ररूप सं. जीएसटीआर 9ग के साथ संलग्न है ।

4. *मेरी/हमारी राय में और *मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी में और अन्य सुसंगत दस्तावेजों समेत लेखा बहियों की परीक्षा के अनुसार और मुझे/हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार निम्नलिखित प्रेक्षणों/अर्हताओं, यदि कोई हों, के अध्यधीन उक्त प्रारूप सं. जीएसटीआर 9ग में दी गई विशिष्टियां सत्य और सही है :

(क)

(ख)

(ग)

.....

.....

** (संपरीक्षक के हस्ताक्षर और मुहर/सील)

स्थान :

हस्ताक्षरी का नाम

सदस्यता सं.

तारीख :

पूरा पता"

19 उक्त नियम प्ररूप जीएसटी एपीएल-03 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा,अर्थात्:--

"प्ररूप जीएसटी आरवीएन-01

[नियम 109ख देखें]

संदर्भ सं.

तारीख:

सेवा में,

.....
.....
.....

जीएसटीआईएन:.....

आदेश सं०-

तारीख

धारा 108 के अधीन नोटिस

जहां अधोहस्ताक्षरी के नोटिस में यह आया है कि (अधिकारी का पदनाम).....द्वारा इस अधिनियम/राज्य का नाम.....<<माल और सेवा कर अधिनियम, 2017/एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017/ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017/माल और सेवा कर (राज्यों को प्रतिकर) अधिनियम, 2017 के अधीन पारित आदेश जहां तक यह राजस्व के हित में प्रतिकूल है, त्रुटिपूर्ण है और अवैध है या आयुक्ति युक्त है अथवा इसमें कतिपय सारवान तथ्यों का ध्यान नहीं रखा गया है, और इसलिए मैं इसके साथ संलग्न दस्तावेज में विनिर्दिष्ट आधारों पर धारा 108 के अधीन पुनरीक्षण में एक आदेश पारित करने का आशय करता हूं ।

आपको इस नोटिस की तामील की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर इस नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने के लिए निदेशित किया जाता है।



आपको तारीख.....समय.....पर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है।

यदि आप नियत तारीख के भीतर उत्तर देने में असफल रहते हैं या नियत तारीख और समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में असफल रहते हैं तो इस मामले को उपलब्ध अभिलेखों और गुणागुण के आधार पर एक पक्षीय विनिश्चित किया जाएगा।

स्थान:

हस्ताक्षर:

तारीख

पदनाम:

अधिकारिता/कार्यालय-।"

तारीख -

1.	जीएसटीआईएन/ अस्थायी आईडी/युआईएन
2.	अपीलार्थी/व्यक्ति का नाम
3.	अपीलार्थी/व्यक्ति का पता
4.	अपील के विरुद्ध या पुनरीक्षण के लिए आशयित आदेश संख्या तारीख
5.	अपील सं०
6.	व्यक्तिगत सुनवाई
7;	संक्षिप्त आदेश-
8.	आदेश की प्रास्थिति- संपूर्ण/उपांतरित/निरस्त

9. अपील/पुनरीक्षण के पश्चात् मांग की रकम:

[illegible]

10. आईजीएसटी मांग के प्रदायवार ब्यौरो का स्थान

प्रदाय का स्थान (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम)	मांग	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
	विवाद/पूर्ववर्ती आदेश में रकम					
	अवधारित रकम					

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर:

अपील प्राधिकारी/पुनरीक्षण प्राधिकारी/अधिकरण/
अधिकारिता वाले अधिकारी का नाम

पदनाम:

अधिकारिता: "।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-4) 37)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

3 जनवरी 2019

एस० ओ० 07, दिनांक 3 जनवरी 2018 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017 (खंड-4) 37)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 3rd January 2018

S.O. 07 Dated 3rd January 2018—In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Fourteenth Amendment) Rules, 2018.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 12, after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1A) A person applying for registration to collect tax in accordance with the provisions of section 52, in a State or Union territory where he does not have a physical presence, shall mention the name of the State or Union territory in **PART A** of the application in **FORM GST REG-07** and mention the name of the State or Union territory in **PART B** thereof in which the principal place of business is located which may be different from the State or Union territory mentioned in **PART A**.”.

3. In the said rules, in rule 45, in sub-rule (3), after the words “received from a job worker”, the words, “or sent from one job worker to another” shall be omitted.

4. In the said rules, in rule 46, after the fourth proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the signature or digital signature of the supplier or his authorised representative shall not be required in the case of issuance of an electronic invoice in accordance with the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).”.

5. In the said rules, in rule 49, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that the signature or digital signature of the supplier or his authorised representative shall not be required in the case of issuance of an electronic bill of supply in accordance with the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).”.

6. In the said rules, in rule 54,-

(a) in sub-rule (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the signature or digital signature of the supplier or his authorised representative shall not be required in the case of issuance of a consolidated tax invoice or any other document in lieu thereof in accordance with the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).”.

(b) in sub-rule (4), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the signature or digital signature of the supplier or his authorised representative shall not be required in the case of issuance of ticket in accordance with the provisions of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).”.

7. In the said rules, in explanation (b) to sub-rule (5) of rule 89, the following clause shall be substituted, namely:-

“Adjusted Total turnover” and “relevant period” shall have the same meaning as assigned to them in sub-rule (4).”.

8. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (1), in clause (a), after the words “export goods duly files”, the words “a departure manifest or” shall be inserted.

9. In the said rules, in rule 101, in sub-rule (1), after the words “financial year”, the words “or part thereof” shall be inserted.

10. In the said rules, after rule 109A, the following rule shall be inserted, namely:-

“109B. Notice to person and order of revisional authority in case of revision.—

- (1) Where the Revisional Authority decides to pass an order in revision under section 108 which is likely to affect the person adversely, the Revisional Authority shall serve on him a notice in **FORM GST RVN-01** and shall give him a reasonable opportunity of being heard.
- (2) The Revisional Authority shall, along with its order under sub-section (1) of section 108, issue a summary of the order in **FORM GST APL-04** clearly indicating the final amount of demand confirmed.”.

11. In the said rules, in rule 138, in sub-rule (1), for Explanation 1, the following Explanation shall be substituted, namely:-

“Explanation 1. – For the purposes of this rule, the expression “handicraft goods” has the meaning as assigned to it in the Commercial Taxes Department notification No S.O.262 dated the 23rd October, 2018 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number. 936, dated the 23rd October, 2018 as amended from time to time.”

12. In the said rules, after rule 138D, from a date to be notified later, the following rule shall be inserted, namely:-

“138E. Restriction on furnishing of information in PART A of FORM GST EWB-01.- Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) of rule 138, no person (including a consignor, consignee, transporter, an e-commerce operator or a courier agency) shall be allowed to furnish the information in **PART A** of **FORM GST EWB-01** in respect of a registered person, whether as a supplier or a recipient, who,—

- (a) being a person paying tax under section 10, has not furnished the returns for two consecutive tax periods; or
- (b) being a person other than a person specified in clause (a), has not furnished the returns for a consecutive period of two months:

Provided that the Commissioner may, on sufficient cause being shown and for reasons to be recorded in writing, by order, allow furnishing of the said information in **PART A** of **FORM GST EWB 01**, subject to such conditions and restrictions as may be specified by him:

Provided further that no order rejecting the request of such person to furnish the information in **PART A** of **FORM GST EWB 01** under the first proviso shall be passed without affording the said person a reasonable opportunity of being heard:

Provided also that the permission granted or rejected by the Commissioner of Central tax or Commissioner of Union territory tax shall be deemed to be granted or, as the case may be, rejected by the Commissioner.

Explanation:— For the purposes of this rule, the expression “Commissioner” shall mean the jurisdictional Commissioner in respect of the persons specified in clauses (a) and (b).”.

13. In the said rules in rule 142, in sub-rule (5), after the words “section 74”, the words “or sub-section (12) of section 75” shall be inserted.

14. In the said rules, for **FORM GST RFD-01**, the following form shall be substituted, namely:-

"FORM-GST-RFD-01

[See rule 89(1)]

Application for Refund

(Applicable for casual or non-resident taxable person, tax deductor, tax collector, un-registered person and other registered taxable person)

1.	GSTIN / Temporary ID							
2.	Legal Name							
3.	Trade Name, if any							
4.	Address							
5.	Tax period (if applicable)	From <Year><Month>		To		<Year><Month>		
6.	Amount of Refund Claimed (Rs.)	Act	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
		Central tax						
		State / UT tax						
		Integrated tax						
		Cess						
		Total						
7.	Grounds of refund claim (select from drop down)							
	(a)	Excess balance in Electronic Cash Ledger						
	(b)	Exports of services- with payment of tax						
	(c)	Exports of goods / services- without payment of tax (accumulated ITC)						
	(d)	On account of order						
		Sr. No.	Type of order	Order no.	Order date	Order Issuing Authority	Payment reference no., if any	
	(i)		Assessment					
	(ii)		Finalization of Provisional assessment					
	(iii)		Appeal					
	(iv)		Any other order (specify)					
	(e)	ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]						
	(f)	On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ developer (with payment of tax)						

		(g)	On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ developer (without payment of tax)			
		(h)	Recipient of deemed export supplies/ Supplier of deemed export supplies			
		(i)	Tax paid on a supply which is not provided, either wholly or partially, and for which invoice has not been issued (tax paid on advance payment)			
		(j)	Tax paid on an intra-State supply which is subsequently held to be inter-State supply and vice versa(change of POS)			
		(k)	Excess payment of tax, if any			
		(l)	Any other (<i>specify</i>)			
8.	Details of Bank account	Name of bank	Address of branch	IFSC	Type of account	Account No.
9.	Whether Self-Declaration filed by Applicant u/s 54(4), if applicable			☐ Yes ☐ No		

[DECLARATION [second proviso to section 54(3)]]

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback of central excise duty/service tax/central tax on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.

Signature

Name –

Designation / Status”]

DECLARATION [section 54(3)(ii)]

I hereby declare that the refund of input tax credit claimed in the application does not include ITC availed on goods or services used for making ‘nil’ rated or fully exempt supplies.

Signature

Name –

Designation / Status

DECLARATION [rule 89(2)(f)]

I hereby declare that the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer has not availed of the input tax credit of the tax paid by the applicant, covered under this refund claim.

Signature

Name –

Designation / Status

DECLARATION [rule 89(2)(g)]

(For recipient/supplier of deemed export)

In case refund claimed by recipient ☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the valid return filed for the said tax period. I also declare that the supplier has not claimed refund with respect to the said supplies.

In case refund claimed by supplier ☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed. I also declare that the recipient shall not claim any refund with respect of the said supplies and also, the recipient has not availed any input tax credit on such supplies.

Signature

Name –

Designation / Status

UNDERTAKING

I hereby undertake to pay back to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case it is found subsequently that the requirements of clause (c) of sub-section (2) of section 16 read with sub-section (2) of section 42 of the CGST/SGST Act have not been complied with in respect of the amount refunded.

Signature

Name –

Designation / Status

SELF- DECLARATION [rule 89(2)(I)]

I _____ (Applicant) having GSTIN/ temporary Id -----, solemnly affirm and certify that in respect of the refund amounting to Rs. ---/ with respect to the tax, interest, or any other amount for the period from---to----, claimed in the refund application, the incidence of such tax and interest has not been passed on to any other person.

Signature

Name –

Designation / Status

(This Declaration is not required to be furnished by applicants, who are claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54.)

10. Verification

I/We <Taxpayer Name> hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

I/We declare that no refund on this account has been received by me/us earlier.

Place
Date

Signature of Authorised Signatory
(Name)

Designation/ Status

Annexure-1**Statement -1 [rule 89(5)]**

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

(Amount in Rs.)

Turnover of inverted rated supply of goods and services	Tax payable on such inverted rated supply of goods and services	Adjusted total turnover	Net input tax credit	Maximum refund amount to be claimed $[(1 \times 4 \div 3) - 2]$
1	2	3	4	5

Statement 1A [rule 89(2)(h)]

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of first proviso to section 54(3)]

Sl. No.	Details of invoices of inward supplies of inputs received				Tax paid on inward supplies of inputs			Details of invoices of outward supplies issued				Tax paid on outward supplies		
	GSTIN of the supplier *	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax / Union territory Tax	No.	Date	Taxable Value	Invoice type (B2B/B2C)	Integrated Tax	Central Tax	State Tax / Union territory Tax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

* In case of imports or supplies received under reverse charge mechanism [sub-section (3) of section 9 of the CGST Act/BGST Act or sub-section (3) of section 5 of IGST Act], the GSTIN of supplier will mean GSTIN of applicant (recipient).

Statement- 2 [rule 89(2)(c)]
Refund Type: Exports of services with payment of tax
(Amount in Rs.)

Sr. No.	Invoice details			Integrated tax			BRC/ FIRC		Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (6+7+10 - 11)
	No.	Date	Value	Taxable value	Amt.		No.	Date			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Statement- 3 [rule 89(2)(b) and 89(2)(c)]
Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC)
(Amount in Rs.)

Sr. No.	Invoice details			Goods/ Services (G/S)	Shipping bill/ Bill of export			EGM Details		BRC/ FIRC	
	No.	Date	Value		Port code	No.	Date	Ref No.	Date	No.	Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Statement- 3A [rule 89(4)]
Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount
(Amount in Rs.)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)
1	2	3	4

Statement-4 [rule 89(2)(d) and 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)
(Amount in Rs.)

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice by SEZ		Integrated Tax		Cess	Integrate d tax and cess involved in debit note, if any	Integrate d tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (8+9+10- 11)
	No.	Date	Value	No.	Date	Taxable Value	Amt.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Statement-5 [rule 89(2)(d) and 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer
(without payment of tax)

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Invoice details			Goods/ Services (G/S)	Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice no.	
	No.	Date	Value		No.	Date
1	2	3	4	5	6	7

Statement-5A [rule 89(4)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit / SEZ developer without
payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount

(Amount in Rs.)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)
1	2	3	4

Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs)

Sl. No.	Details of invoices of outward supplies in case refund is claimed by supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient				Tax paid			
	GSTIN of the supplier	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax /Union Territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Statement-6 [rule 89(2)(j)]

Refund Type: On account of change in POS (inter-State to intra-State and vice versa)

Order Details (issued in pursuance of sections 77 (1) and (2), if any:

Order No: Order Date:

(Amount in Rs.)

Recipient's GSTIN/ UIN Name (in case B2C)	Invoice details				Details of tax paid on transaction considered as intra –State / inter-State transaction earlier					Taxes re-assessed on transaction which were held inter State / intra-State supply subsequently				
	No.	Date	Value	Taxable Value	Integrated tax	Central tax	State/ UT tax	Cess	Place of Supply	Integrated tax	Central tax	State/ UT tax	Cess	Place of Supply
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Statement-7 [rule 89(2)(k)]

Refund Type: Excess payment of tax, if any in case of last return filed.

(Amount in Rs.)

Tax period	ARN of return	Date of filing return	Tax Payable			
			Integrated tax	Central tax	State/ UT tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7

Annexure-2**Certificate [rule 89(2)(m)]**

This is to certify that in respect of the refund amounting to Rs.<<>> ----- (in words) claimed by M/s----- (Applicant's Name) GSTIN/ Temporary ID----- for the tax period < --->, the incidence of tax and interest, has not been passed on to any other person. This certificate is based on the examination of the books of account and other relevant records and returns particulars maintained/ furnished by the applicant.

Signature of the Chartered Accountant/ Cost Accountant:

Name:

Membership Number:

Place:

Date:

Note - This Certificate is not required to be furnished by the applicant, claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54 of the Act.

Instructions –**1. Terms used:**

- | | |
|------------------|---|
| a. B to C: | From registered person to unregistered person |
| b. EGM: | Export General Manifest |
| c. GSTIN: | Goods and Services Tax Identification Number |
| d. IGST: | Integrated goods and services tax |
| e. ITC: | Input tax credit |
| f. POS: | Place of Supply (Respective State) |
| g. SEZ: | Special Economic Zone |
| h. Temporary ID: | Temporary Identification Number |
| i. UIN: | Unique Identity Number |

2. Refund of excess amount available in electronic cash ledger can also be claimed through return or by filing application.

3. Debit entry shall be made in electronic credit or cash ledger at the time of filing the application.

4. Acknowledgement in **FORM GST RFD-02** will be issued if the application is found complete in all respects.

5. Claim of refund on export of goods with payment of IGST shall not be processed through this application.

6. Bank account details should be as per registration data. Any change in bank details shall first be amended in registration particulars before quoting in the application.

7. Declaration shall be filed in cases wherever required.

8. 'Net input tax credit' means input tax credit availed on inputs during the relevant period for the purpose of Statement-1 and will include ITC on input services also for the purpose of Statement-3A and 5A.

9. 'Adjusted total turnover' means the turnover in a State or a Union territory, as defined under clause (112) of section 2 excluding the value of exempt supplies other than zero-rated supplies, during the relevant period.

10. For the purpose of Statement-1, refund claim will be based on supplies reported in GSTR-1 and GSTR-2.

11. BRC or FIRC details will be mandatory where refund is claimed against export of services details of shipping bill and EGM will be mandatory to be provided in case of export of goods.

12. Where the invoice details are amended (including export), refund shall be allowed as per the calculation based on amended value.

13. Details of export made without payment of tax shall be reported in Statement-3.

14. Availability of refund to be claimed in case of supplies made to SEZ unit or SEZ developer without payment of tax shall be worked out in accordance with the formula prescribed in rule 89(4).

15. 'Turnover of zero rated supply of goods and services' shall have the same meaning as defined in rule 89(4).".

15. In the said rules, for FORM GST RFD-01A, the following form shall be substituted, namely:-

"FORM-GST-RFD-01 A

[See rules 89(1) and 97A]

Application for Refund (Manual)

(Applicable for casual taxable person or non-resident taxable person, tax deductor, tax collector and other registered taxable person)

1.	GSTIN / Temporary ID								
2.	Legal Name								
3.	Trade Name, if any								
4.	Address								
5.	Tax period (if applicable)	From <Year><Month>		To		<Year><Month>			
6.	Amount of Refund Claimed (Rs.)	Act	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total	
		Central tax							
		State / UT tax							
		Integrated tax							
		Cess							
		Total							
7.	Grounds of Refund Claim (select from drop down)	(a) Excess balance in Electronic Cash Ledger							
		(b) Exports of services- with payment of tax							
		(c) Exports of goods / services- without payment of tax (accumulated ITC)							
		(d) ITC accumulated due to inverted tax structure [under clause (ii) of first proviso to section 54(3)]							
		(e) On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ developer (with payment of tax)							
		(f) On account of supplies made to SEZ unit/ SEZ developer (without payment of tax)							
		(g) Recipient of deemed export supplies/ Supplier of deemed export supplies							
		(h)							
		On account of order							
		Sl. No.	Type of order	Order No.	Order date	Order Issuing Authority	Payment reference no., if any		
		(i)	Assessment						
		(ii)	Finalization of Provisional assessment						
		(iii)	Appeal						
		(iv)	Any other order (specify)						
		(i)	Tax paid on an intra-State supply which is subsequently held to be inter-State supply and vice versa (change of POS)						
		(j)	Excess payment of tax, if any						
		(k)	Any other (specify)						

[DECLARATION [second proviso to section 54(3)]]

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback of central excise duty/service tax/central tax on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.

Signature

Name –

Designation / Status].

DECLARATION [section 54(3)(ii)]

I hereby declare that the refund of ITC claimed in the application does not include ITC availed on goods or services used for making 'nil' rated or fully exempt supplies.

Signature

Name –

Designation / Status

DECLARATION [rule 89(2)(f)]

I hereby declare that the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer has not availed of the input tax credit of the tax paid by the applicant, covered under this refund claim.

Signature

Name –

Designation / Status

DECLARATION [rule 89(2)(g)]

(For recipient/supplier of deemed export)

In case refund claimed by recipient

☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the amount does not exceed the amount of input tax credit availed in the valid return filed for the said tax period. I also declare that the supplier has not claimed refund with respect to the said supplies.

In case refund claimed by supplier ☐

I hereby declare that the refund has been claimed only for those invoices which have been detailed in statement 5B for the tax period for which refund is being claimed and the recipient shall not claim any refund with respect of the said supplies and also, the recipient has not availed any input tax credit on such supplies.

Signature

Name –

Designation / Status

UNDERTAKING

I hereby undertake to pay back to the Government the amount of refund sanctioned along with interest in case it is found subsequently that the requirements of clause (c) of sub-section (2) of section 16 read with sub-section (2) of section 42 of the CGST/SGST Act have not been complied with in respect of the amount refunded.

Signature

Name –

Designation / Status

SELF- DECLARATION [rule 89(2)(I)]

I/We _____ (Applicant) having GSTIN/ temporary Id -----, solemnly affirm and certify that in respect of the refund amounting to Rs. ---/ with respect to the tax, interest, or any other amount for the period from---to---, claimed in the refund application, the incidence of such tax and interest has not been passed on to any other person.

Signature

Name –

Designation / Status

(This Declaration is not required to be furnished by applicants, who are claiming refund under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (f) of sub-section (8) of section 54.)

Designation/ Status

[illegible]

* In case of imports or supplies received under reverse charge mechanism [sub-section (3) of section 9 of the CGST Act/BGST Act or sub-section (3) of section 5 of IGST Act], the GSTIN of supplier will mean GSTIN of applicant (recipient).

Statement- 2 [rule 89(2)(c)]
Refund Type: Exports of services with payment of tax
(Amount in Rs.)

Sr. No.	Invoice details			Integrated tax			BRC/ FIRC		Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (6+7+10 - 11)
	No.	Date	Value	Taxable value	Amt.		No.	Date			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Statement- 3 [rule 89(2)(b) and 89(2)(c)]
Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC)
(Amount in Rs.)

Sr. No.	Invoice details			Goods/ Services (G/S)	Shipping bill/ Bill of export			EGM Details		BRC/ FIRC	
	No.	Date	Value		Port code	No.	Date	Ref No.	Date	No.	Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Statement- 3A [rule 89(4)]
Refund Type: Export without payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount
(Amount in Rs.)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)
1	2	3	4

Statement-4 [rule 89(2)(d) and 89(2)(e)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit or SEZ Developer (on payment of tax)

(Amount in Rs.)

GSTIN of recipient	Invoice details			Shipping bill/ Bill of export/ Endorsed invoice by SEZ		Integrated Tax		Cess	Integrated tax and cess involved in debit note, if any	Integrated tax and cess involved in credit note, if any	Net Integrated tax and cess (8+9+10-11)
	No.	Date	Value	No.	Date	Taxable Value	Amt.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Statement-5A [rule 89(4)]

Refund Type: On account of supplies made to SEZ unit / SEZ developer without payment of tax (accumulated ITC) – calculation of refund amount

(Amount in Rs.)

Turnover of zero rated supply of goods and services	Net input tax credit	Adjusted total turnover	Refund amount (1×2÷3)
1	2	3	4

Statement 5B [rule 89(2)(g)]

Refund Type: On account of deemed exports

(Amount in Rs)

Sl. No.	Details of invoices of outward supplies in case refund is claimed by supplier/Details of invoices of inward supplies in case refund is claimed by recipient				Tax paid			
	GSTIN of the supplier	No.	Date	Taxable Value	Integrated Tax	Central Tax	State Tax / Union Territory Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Statement-6 [rule 89(2)(j)]

Refund Type: On account of change in POS (inter-State to intra-State and vice versa)

Order Details (issued in pursuance of sections 77(1) and 77(2), if any):

Order No:

Order Date:

(Amount in Rs.)

Recipients' GSTIN/ UIN Name (in case B2C)	Invoice details				Details of tax paid on transaction considered as intra -State / inter-State transaction earlier					Taxes re-assessed on transaction which were held inter State / intra-State supply subsequently				
	No.	Date	Value	Taxable Value	Integrated tax	Central tax	State/ UT tax	Cess	Place of Supply	Integrated tax	Central tax	State/ UT tax	Cess	Place of Supply
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Statement-7 [rule 89(2)(k)]

Refund Type: Excess payment of tax, if any in case of last return filed.

(Amount in Rs.)

Tax period	ARN of return	Date of filing return	Tax Paid in Excess			
			Integrated tax	Central tax	State/ UT tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7

”.

 16. In the said rules, for **FORM GSTR 9**, the following form shall be substituted, namely:-

 “**FORM GSTR - 9**

[See rule 80]

Annual Return

Pt. I	Basic Details					
1	Financial Year					
2	GSTIN					
3A	Legal Name					
3B	Trade Name (if any)					
Pt. II	Details of Outward and inward supplies made during the financial year					
			(Amount in ₹ in all tables)			
	Nature of Supplies	Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1	2	3	4	5	6
4	Details of advances, inward and outward supplies made during the financial year on which tax is payable					

A	Supplies made to un-registered persons (B2C)					
B	Supplies made to registered persons (B2B)					
C	Zero rated supply (Export) on payment of tax (except supplies to SEZs)					
D	Supply to SEZs on payment of tax					
E	Deemed Exports					
F	Advances on which tax has been paid but invoice has not been issued (not covered under (A) to (E) above)					
G	Inward supplies on which tax is to be paid on reverse charge basis					
H	Sub-total (A to G above)					
I	Credit Notes issued in respect of transactions specified in (B) to (E) above (-)					
J	Debit Notes issued in respect of transactions specified in (B) to (E) above (+)					
K	Supplies / tax declared through Amendments (+)					
L	Supplies / tax reduced through Amendments (-)					
M	Sub-total (I to L above)					
N	Supplies and advances on which tax is to be paid (H + M) above					
5	Details of Outward supplies made during the financial year on which tax is not payable					
A	Zero rated supply (Export) without payment of tax					
B	Supply to SEZs without payment of tax					
C	Supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis					
D	Exempted					
E	Nil Rated					
F	Non-GST supply (includes 'no supply')					
G	Sub-total (A to F above)					
H	Credit Notes issued in respect of transactions specified in A to F above (-)					
I	Debit Notes issued in respect of transactions specified in A to F above (+)					
J	Supplies declared through Amendments (+)					

K	Supplies reduced through Amendments (-)					
L	Sub-Total (H to K above)					
M	Turnover on which tax is not to be paid (G + L above)					
N	Total Turnover (including advances) (4N + 5M - 4G above)					

Pt. III	Details of ITC for the financial year					
	Description	Type	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1	2	3	4	5	6
6	Details of ITC availed during the financial year					
A	Total amount of input tax credit availed through FORM GSTR-3B (sum total of Table 4A of FORM GSTR-3B)		<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
B	Inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs)	Inputs				
		Capital Goods				
		Input Services				
C	Inward supplies received from unregistered persons liable to reverse charge (other than B above) on which tax is paid & ITC availed	Inputs				
		Capital Goods				
		Input Services				
D	Inward supplies received from registered persons liable to reverse charge (other than B above) on which tax is paid and ITC availed	Inputs				
		Capital Goods				
		Input Services				
E	Import of goods (including supplies from SEZs)	Inputs				
		Capital Goods				
F	Import of services (excluding inward supplies from SEZs)					
G	Input Tax credit received from ISD					
H	Amount of ITC reclaimed (other than B above) under the provisions of the Act					
I	Sub-total (B to H above)					
J	Difference (I - A above)					
K	Transition Credit through TRAN-I (including revisions if any)					
L	Transition Credit through TRAN-II					
M	Any other ITC availed but not specified above					
N	Sub-total (K to M above)					
O	Total ITC availed (I + N above)					
7	Details of ITC Reversed and Ineligible ITC for the financial year					
A	As per Rule 37					
B	As per Rule 39					

C	As per Rule 42						
D	As per Rule 43						
E	As per section 17(5)						
F	Reversal of TRAN-I credit						
G	Reversal of TRAN-II credit						
H	Other reversals (pl. specify)						
I	Total ITC Reversed (Sum of A to H above)						
J	Net ITC Available for Utilization (6O - 7I)						
8	Other ITC related information						
A	ITC as per GSTR-2A (Table 3 & 5 thereof)	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>		
B	ITC as per sum total of 6(B) and 6(H) above	<Auto>					
C	ITC on inward supplies (other than imports and inward supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs) received during 2017-18 but availed during April to September, 2018						
D	Difference [A-(B+C)]						
E	ITC available but not availed						
F	ITC available but ineligible						
G	IGST paid on import of goods (including supplies from SEZ)						
H	IGST credit availed on import of goods (as per 6(E) above)	<Auto>					
I	Difference (G-H)						
J	ITC available but not availed on import of goods (Equal to I)						
K	Total ITC to be lapsed in current financial year (E + F + J)	<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>		
Pt. IV	Details of tax paid as declared in returns filed during the financial year						
9	Description	Tax Payable	Paid through cash	Paid through ITC			
				Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1	2	3	4	5	6	7
	Integrated Tax						
	Central Tax						
	State/UT Tax						
	Cess						
	Interest						
	Late fee						
	Penalty						
	Other						

Pt. V	Particulars of the transactions for the previous FY declared in returns of April to September of current FY or upto date of filing of annual return of previous FY whichever is earlier							
	Description	Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess		
	1	2	3	4	5	6		
10	Supplies / tax declared through Amendments (+) (net of debit notes)							
11	Supplies / tax reduced through Amendments (-) (net of credit notes)							
12	Reversal of ITC availed during previous financial year							
13	ITC availed for the previous financial year							
14	Differential tax paid on account of declaration in 10 & 11 above							
	Description	Payable		Paid				
	1	2		3				
	Integrated Tax							
	Central Tax							
	State/UT Tax							
	Cess							
	Interest							
Pt. VI	Other Information							
15	Particulars of Demands and Refunds							
	Details	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	Interest	Penalty	Late Fee / Others
	1	2	3	4	5			
A	Total Refund claimed							
B	Total Refund sanctioned							
C	Total Refund Rejected							
D	Total Refund Pending							
E	Total demand of taxes							
F	Total taxes paid in respect of E above							
G	Total demands pending out of E above							

16	Information on supplies received from composition taxpayers, deemed supply under section 143 and goods sent on approval basis							
	Details	Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess		
	1	2	3	4	5	6		
A	Supplies received from Composition taxpayers							
B	Deemed supply under Section 143							
C	Goods sent on approval basis but not returned							
17	HSN Wise Summary of outward supplies							
HSN Code	UQC	Total Quantity	Taxable Value	Rate of Tax	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	HSN Wise Summary of Inward supplies							
HSN Code	UQC	Total Quantity	Taxable Value	Rate of Tax	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	Late fee payable and paid							
	Description				Payable		Paid	
	1				2		3	
A	Central Tax							
B	State Tax							

Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

Place
Date

Signature
Name of Authorised Signatory
Designation / Status

Instructions: –

- Terms used:**
 - GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
 - UQC: Unit Quantity Code
 - HSN: Harmonized System of Nomenclature Code
- It is mandatory to file all your **FORM GSTR-1** and **FORM GSTR-3B** for the FY 2017-18 before filing this return. The details for the period between July 2017 to March 2018 are to be provided in this return.

3. It may be noted that additional liability for the FY 2017-18 not declared in **FORM GSTR-1** and **FORM GSTR-3B** may be declared in this return. However, taxpayers cannot claim input tax credit unclaimed during FY 2017-18 through this return.
4. Part II consists of the details of all outward supplies & advances received during the financial year for which the annual return is filed. It may be noted that all the supplies for which payment has been made through **FORM GSTR-3B** between July 2017 to March 2018 shall be declared in this part. The instructions to fill Part II are as follows:

Table No.	Instructions
4A	Aggregate value of supplies made to consumers and unregistered persons on which tax has been paid shall be declared here. These will include details of supplies made through E-Commerce operators and are to be declared as net of credit notes or debit notes issued in this regard. Table 5, Table 7 along with respective amendments in Table 9 and Table 10 of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4B	Aggregate value of supplies made to registered persons (including supplies made to UINs) on which tax has been paid shall be declared here. These will include supplies made through E-Commerce operators but shall not include supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis. Details of debit and credit notes are to be mentioned separately. Table 4A and Table 4C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4C	Aggregate value of exports (except supplies to SEZs) on which tax has been paid shall be declared here. Table 6A of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4D	Aggregate value of supplies to SEZs on which tax has been paid shall be declared here. Table 6B of GSTR-1 may be used for filling up these details.
4E	Aggregate value of supplies in the nature of deemed exports on which tax has been paid shall be declared here. Table 6C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4F	Details of all unadjusted advances i.e. advance has been received and tax has been paid but invoice has not been issued in the current year shall be declared here. Table 11A of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4G	Aggregate value of all inward supplies (including advances and net of credit and debit notes) on which tax is to be paid by the recipient (i.e. by the person filing the annual return) on reverse charge basis. This shall include supplies received from registered persons, unregistered persons on which tax is levied on reverse charge basis. This shall also include aggregate value of all import of services. Table 3.1(d) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
4I	Aggregate value of credit notes issued in respect of B to B supplies (4B), exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E) shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
4J	Aggregate value of debit notes issued in respect of B to B supplies (4B), exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E) shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.

4K & 4L	Details of amendments made to B to B supplies (4B), exports (4C), supplies to SEZs (4D) and deemed exports (4E), credit notes (4I), debit notes (4J) and refund vouchers shall be declared here. Table 9A and Table 9C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5A	Aggregate value of exports (except supplies to SEZs) on which tax has not been paid shall be declared here. Table 6A of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5B	Aggregate value of supplies to SEZs on which tax has not been paid shall be declared here. Table 6B of GSTR-1 may be used for filling up these details.
5C	Aggregate value of supplies made to registered persons on which tax is payable by the recipient on reverse charge basis. Details of debit and credit notes are to be mentioned separately. Table 4B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5D, 5E and 5F	Aggregate value of exempted, Nil Rated and Non-GST supplies shall be declared here. Table 8 of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details. The value of "no supply" shall be declared under Non-GST supply (5F).
5H	Aggregate value of credit notes issued in respect of supplies declared in 5A, 5B, 5C, 5D, 5E and 5F shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5I	Aggregate value of debit notes issued in respect of supplies declared in 5A, 5B, 5C, 5D, 5E and 5F shall be declared here. Table 9B of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5J & 5K	Details of amendments made to exports (except supplies to SEZs) and supplies to SEZs on which tax has not been paid shall be declared here. Table 9A and Table 9C of FORM GSTR-1 may be used for filling up these details.
5N	Total turnover including the sum of all the supplies (with additional supplies and amendments) on which tax is payable and tax is not payable shall be declared here. This shall also include amount of advances on which tax is paid but invoices have not been issued in the current year. However, this shall not include the aggregate value of inward supplies on which tax is paid by the recipient (i.e. by the person filing the annual return) on reverse charge basis.

5. Part III consists of the details of all input tax credit availed and reversed in the financial year for which the annual return is filed. The instructions to fill Part III are as follows:

Table No.	Instructions
6A	Total input tax credit availed in Table 4A of FORM GSTR-3B for the taxpayer would be auto-populated here.
6B	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies except those on which tax is payable on reverse charge basis but includes supply of services received from SEZs shall be declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs, capital goods and input services. Table 4(A)(5) of FORM

	GSTR-3B may be used for filling up these details. This shall not include ITC which was availed, reversed and then reclaimed in the ITC ledger. This is to be declared separately under 6(H) below.
6C	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies received from unregistered persons (other than import of services) on which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs, capital goods and input services. Table 4(A)(3) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6D	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies received from registered persons on which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs, capital goods and input services. Table 4(A)(3) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6E	Details of input tax credit availed on import of goods including supply of goods received from SEZs shall be declared here. It may be noted that the total ITC availed is to be classified as ITC on inputs and capital goods. Table 4(A)(1) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6F	Details of input tax credit availed on import of services (excluding inward supplies from SEZs) shall be declared here. Table 4(A)(2) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6G	Aggregate value of input tax credit received from input service distributor shall be declared here. Table 4(A)(4) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
6H	Aggregate value of input tax credit availed, reversed and reclaimed under the provisions of the Act shall be declared here.
6J	The difference between the total amount of input tax credit availed through FORM GSTR-3B and input tax credit declared in row B to H shall be declared here. Ideally, this amount should be zero.
6K	Details of transition credit received in the electronic credit ledger on filing of FORM GST TRAN-I including revision of TRAN-I (whether upwards or downwards), if any shall be declared here.
6L	Details of transition credit received in the electronic credit ledger after filing of FORM GST TRAN-II shall be declared here.
6M	Details of ITC availed but not covered in any of heads specified under 6B to 6L above shall be declared here. Details of ITC availed through FORM ITC-01 and FORM ITC-02 in the financial year shall be declared here.
7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G and 7H	Details of input tax credit reversed due to ineligibility or reversals required under rule 37, 39, 42 and 43 of the BGST Rules, 2017 shall be declared here. This column should also contain details of any input tax credit reversed under section 17(5) of the BGST Act, 2017 and details of ineligible transition credit claimed under FORM GST TRAN-I or FORM GST TRAN-II and then subsequently reversed. Table 4(B) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. Any ITC reversed through FORM ITC -03 shall be declared in 7H. If the amount stated in Table 4D of

	FORM GSTR-3B was not included in table 4A of FORM GSTR-3B , then no entry should be made in table 7E of FORM GSTR-9 . However, if amount mentioned in table 4D of FORM GSTR-3B was included in table 4A of FORM GSTR-3B , then entry will come in 7E of FORM GSTR-9 .
8A	The total credit available for inwards supplies (other than imports and inwards supplies liable to reverse charge but includes services received from SEZs) pertaining to FY2017-18 and reflected in FORM GSTR-2A (table 3 & 5 only) shall be auto-populated in this table. This would be the aggregate of all the input tax credit that has been declared by the corresponding suppliers in their FORM GSTR-1 .
8B	The input tax credit as declared in Table 6B and 6H shall be auto-populated here.
8C	Aggregate value of input tax credit availed on all inward supplies (except those on which tax is payable on reverse charge basis but includes supply of services received from SEZs) received during July 2017 to March 2018 but credit on which was availed between April to September 2018 shall be declared here. Table 4(A)(5) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
8D	Aggregate value of the input tax credit which was available in FORM GSTR-2A (table 3 & 5 only) but not availed in FORM GSTR-3B returns shall be computed based on values of 8A, 8B and 8C. However, there may be circumstances where the credit availed in FORM GSTR-3B was greater than the credit available in FORM GSTR-2A . In such cases, the value in row 8D shall be negative.
8E & 8F	The credit which was available and not availed in FORM GSTR-3B and the credit was not availed in FORM GSTR-3B as the same was ineligible shall be declared here. Ideally, if 8D is positive, the sum of 8E and 8F shall be equal to 8D.
8G	Aggregate value of IGST paid at the time of imports (including imports from SEZs) during the financial year shall be declared here.
8H	The input tax credit as declared in Table 6E shall be auto-populated here.
8K	The total input tax credit which shall lapse for the current financial year shall be computed in this row.

6. Part IV is the actual tax paid during the financial year. Payment of tax under Table 6.1 of **FORM GSTR-3B** may be used for filling up these details.

7. Part V consists of particulars of transactions for the previous financial year but paid in the **FORM GSTR-3B** of April to September of current FY or date of filing of Annual Return for previous financial year (for example in the annual return for the FY 2017-18, the transactions declared in April to September 2018 for the FY 2017-18 shall be declared), whichever is earlier. The instructions to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions
10 & 11	Details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 9A, Table 9B and Table 9C of FORM GSTR-1 of April to September of the current financial year or date of filing of Annual Return for the previous financial year, whichever is earlier shall be declared here.

12	Aggregate value of reversal of ITC which was availed in the previous financial year but reversed in returns filed for the months of April to September of the current financial year or date of filing of Annual Return for previous financial year, whichever is earlier shall be declared here. Table 4(B) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
13	Details of ITC for goods or services received in the previous financial year but ITC for the same was availed in returns filed for the months of April to September of the current financial year or date of filing of Annual Return for the previous financial year whichever is earlier shall be declared here. Table 4(A) of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details. However, any ITC which was reversed in the FY 2017-18 as per second proviso to sub-section (2) of section 16 but was reclaimed in FY 2018-19, the details of such ITC reclaimed shall be furnished in the annual return for FY 2018-19.

8. Part VI consists of details of other information. The instructions to fill Part VI are as follows:

Table No.	Instructions
15A, 15B, 15C and 15D	Aggregate value of refunds claimed, sanctioned, rejected and pending for processing shall be declared here. Refund claimed will be the aggregate value of all the refund claims filed in the financial year and will include refunds which have been sanctioned, rejected or are pending for processing. Refund sanctioned means the aggregate value of all refund sanction orders. Refund pending will be the aggregate amount in all refund application for which acknowledgement has been received and will exclude provisional refunds received. These will not include details of non-GST refund claims.
15E, 15F and 15G	Aggregate value of demands of taxes for which an order confirming the demand has been issued by the adjudicating authority shall be declared here. Aggregate value of taxes paid out of the total value of confirmed demand as declared in 15E above shall be declared here. Aggregate value of demands pending recovery out of 15E above shall be declared here.
16A	Aggregate value of supplies received from composition taxpayers shall be declared here. Table 5 of FORM GSTR-3B may be used for filling up these details.
16B	Aggregate value of all deemed supplies from the principal to the job-worker in terms of sub-section (3) and sub-section (4) of Section 143 of the BGST Act shall be declared here.
16C	Aggregate value of all deemed supplies for goods which were sent on approval basis but were not returned to the principal supplier within one eighty days of such supply shall be declared here.
17 & 18	Summary of supplies effected and received against a particular HSN code to be reported only in this table. It will be optional for taxpayers having annual turnover upto ₹ 1.50 Cr. It will be mandatory to report HSN code at two digits level for taxpayers having annual turnover in the preceding year above ₹ 1.50 Cr but upto ₹ 5.00 Cr and at four digits' level for taxpayers having annual turnover above ₹ 5.00 Cr. UQC details to be furnished only for supply of goods. Quantity is to be reported

	net of returns. Table 12 of FORM GSTR-1 may be used for filling up details in Table 17. It may be noted that this summary details are required to be declared only for those inward supplies which in value independently account for 10 % or more of the total value of inward supplies.
19	Late fee will be payable if annual return is filed after the due date.

9. Towards the end of the return, taxpayers shall be given an option to pay any additional liability declared in this form, through **FORM DRC-03**. Taxpayers shall select “Annual Return” in the drop down provided in **FORM DRC-03**. It may be noted that such liability can be paid through electronic cash ledger only.”.

17. In the said rules, for **FORM GSTR 9A**, the following form shall be substituted, namely:-

“FORM GSTR – 9A

[See rule 80]

Annual Return (For Composition Taxpayer)

Pt. I	Basic Details						
1	Financial Year						
2	GSTIN						
3A	Legal Name	<Auto>					
3B	Trade Name (if any)	<Auto>					
4	Period of composition scheme during the year (From ---- To ----)						
5	Aggregate Turnover of Previous Financial Year						
(Amount in ₹ in all tables)							
Pt. II	Details of outward and inward supplies made during the financial year						
	Description	Turnover	Rate of Tax	Central Tax	State / UT Tax	Integrated tax	Cess
	1	2	3	4	5	6	7
6	Details of Outward supplies made during the financial year						
A	Taxable						
B	Exempted, Nil-rated						
C	Total						
7	Details of inward supplies on which tax is payable on reverse charge basis (net of debit/credit notes) for the financial year						
	Description	Taxable Value	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	
	1	2	3	4	5	6	
A	Inward supplies liable to reverse charge received from registered persons						
B	Inward supplies liable to reverse charge						

	received from unregistered persons					
C	Import of services					
D	Net Tax Payable on (A), (B) and (C) above					
8	Details of other inward supplies for the financial year					
A	Inward supplies from registered persons (other than 7A above)					
B	Import of Goods					
Pt. III	Details of tax paid as declared in returns filed during the financial year					
9	Description	Total tax payable	Paid			
	1	2	3			
	Integrated Tax					
	Central Tax					
	State/UT Tax					
	Cess					
	Interest					
	Late fee					
	Penalty					
Pt. IV	Particulars of the transactions for the previous FY declared in returns of April to September of current FY or upto date of filing of annual return of previous FY whichever is earlier					
	Description	Turnover	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess
	1	2	3	4	5	6
10	Supplies / tax (outward) declared through Amendments (+) (net of debit notes)					
11	Inward supplies liable to reverse charge declared through Amendments (+) (net of debit notes)					
12	Supplies / tax (outward) reduced through Amendments (-) (net of credit notes)					
13	Inward supplies liable to reverse charge reduced through Amendments (-) (net of credit notes)					
14	Differential tax paid on account of declaration made in 10, 11, 12 & 13 above					
	Description	Payable	Paid			
	1	2	3			
	Integrated Tax					
	Central Tax					
	State/UT Tax					
	Cess					
	Interest					

Pt. V	Other Information							
15	Particulars of Demands and Refunds							
	Description	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess	Interest	Penalty	Late Fee / Others
	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Total Refund claimed							
B	Total Refund sanctioned							
C	Total Refund Rejected							
D	Total Refund Pending							
E	Total demand of taxes							
F	Total taxes paid in respect of E above							
G	Total demands pending out of E above							
16	Details of credit reversed or availed							
	Description	Central Tax	State Tax / UT Tax	Integrated Tax	Cess			
	1	2	3	4	5			
A	Credit reversed on opting in the composition scheme (-)							
B	Credit availed on opting out of the composition scheme (+)							
17	Late fee payable and paid							
	Description	Payable		Paid				
	1	2		3				
A	Central Tax							
B	State Tax							

Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from and in case of any reduction in output tax liability the benefit thereof has been/will be passed on to the recipient of supply.

Place
Date

Signature
Name of Authorised Signatory
Designation / Status

Instructions: –

1. It is mandatory to file all your **FORM GSTR-4** for the FY 2017-18 before filing this return. The details for the period between July 2017 to March 2018 shall be provided in this return.
2. It may be noted that additional liability for the FY 2017-18 not declared in **FORM GSTR-4** may be declared in this return.
3. Part I consists of basic details of taxpayer. The instructions to fill Part I are as follows :

Table No.	Instructions
5	Aggregate turnover for the previous financial year is the turnover of the financial year previous to the year for which the return is being filed. For example for the annual return for FY 2017-18, the aggregate turnover of FY 2016-17 shall be entered into this table. It is the sum total of turnover of all taxpayers registered on the same PAN.

4. Part II consists of the details of all outward and inward supplies in the financial year for which the annual return is filed. The instructions to fill Part II are as follows:

Table No.	Instructions
6A	Aggregate value of all outward supplies net of debit notes / credit notes, net of advances and net of goods returned for the entire financial year shall be declared here. Table 6 and Table 7 of FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
6B	Aggregate value of exempted, Nil Rated and Non-GST supplies shall be declared here.
7A	Aggregate value of all inward supplies received from registered persons on which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here. Table 4B, Table 5 and Table 8A of FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
7B	Aggregate value of all inward supplies received from unregistered persons (other than import of services) on which tax is payable on reverse charge basis shall be declared here. Table 4C, Table 5 and Table 8A of FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
7C	Aggregate value of all services imported during the financial year shall be declared here. Table 4D and Table 5 of FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
8A	Aggregate value of all inward supplies received from registered persons on which tax is payable by the supplier shall be declared

	here. Table 4A and Table 5 of FORM GSTR-4 may be used for filling up these details.
8B	Aggregate value of all goods imported during the financial year shall be declared here.

5. Part IV consists of the details of amendments made for the supplies of the previous financial year in the returns of April to September of the current FY or date of filing of Annual Return for previous financial year (for example in the annual return for the FY 2017-18, the transactions declared in April to September 2018 for the FY 2017-18 shall be declared), whichever is earlier. The instructions to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions
10,11,12,13 and 14	Details of additions or amendments to any of the supplies already declared in the returns of the previous financial year but such amendments were furnished in Table 5 (relating to inward supplies) or Table 7 (relating to outward supplies) of FORM GSTR-4 of April to September of the current financial year or upto the date of filing of Annual Return for the previous financial year, whichever is earlier shall be declared here.

6. Part V consists of details of other information. The instruction to fill Part V are as follows:

Table No.	Instructions
15A, 15B, 15C and 15D	Aggregate value of refunds claimed, sanctioned, rejected and pending for processing shall be declared here. Refund claimed will be the aggregate value of all the refund claims filed in the financial year and will include refunds which have been sanctioned, rejected or are pending for processing. Refund sanctioned means the aggregate value of all refund sanction orders. Refund pending will be the aggregate amount in all refund application for which acknowledgement has been received and will exclude provisional refunds received. These will not include details of non-GST refund claims.
15E, 15F and 15G	Aggregate value of demands of taxes for which an order confirming the demand has been issued by the adjudicating authority has been issued shall be declared here. Aggregate value of taxes paid out of the total value of confirmed demand in 15E above shall be declared here. Aggregate value of demands pending recovery out of 15E above shall be declared here.
16A	Aggregate value of all credit reversed when a person opts to pay tax under the composition scheme shall be declared here. The

	details furnished in FORM ITC-03 may be used for filling up these details.
16B	Aggregate value of all the credit availed when a registered person opts out of the composition scheme shall be declared here. The details furnished in FORM ITC-01 may be used for filling up these details.
17	Late fee will be payable if annual return is filed after the due date.”;

7. Towards the end of the return, taxpayers shall be given an option to pay any additional liability declared in this form, through **FORM DRC-03**. Taxpayers shall select “Annual Return” in the drop down provided in **FORM DRC-03**. It may be noted that such liability shall be paid through electronic cash ledger only.”.

18. In the said rules, for **FORM GSTR 9C**, the following form shall be substituted, namely:-

“FORM GSTR-9C

See rule 80(3)

PART – A - Reconciliation Statement

Pt. I	Basic Details		
1	Financial Year		
2	GSTIN		
3A	Legal Name	< Auto>	
3B	Trade Name (if any)	<Auto>	
4	Are you liable to audit under any Act?		<<Please specify>>
		(Amount in ₹ in all tables)	
Pt. II	Reconciliation of turnover declared in audited Annual Financial Statement with turnover declared in Annual Return (GSTR9)		
5	Reconciliation of Gross Turnover		
A	Turnover (including exports) as per audited financial statements for the State / UT (For multi-GSTIN units under same PAN the turnover shall be derived from the audited Annual Financial Statement)		
B	Unbilled revenue at the beginning of Financial Year	(+)	
C	Unadjusted advances at the end of the Financial Year	(+)	
D	Deemed Supply under Schedule I	(+)	
E	Credit Notes issued after the end of the financial year but reflected in the annual return	(-)	
F	Trade Discounts accounted for in the audited Annual Financial Statement but are not permissible under GST	(+)	
G	Turnover from April 2017 to June 2017	(-)	
H	Unbilled revenue at the end of Financial Year	(-)	
I	Unadjusted Advances at the beginning of the Financial Year	(-)	

J	Credit notes accounted for in the audited Annual Financial Statement but are not permissible under GST	(+)				
K	Adjustments on account of supply of goods by SEZ units to DTA Units	(-)				
L	Turnover for the period under composition scheme	(-)				
M	Adjustments in turnover under section 15 and rules there under	(+/-)				
N	Adjustments in turnover due to foreign exchange fluctuations	(+/-)				
O	Adjustments in turnover due to reasons not listed above	(+/-)				
P	Annual turnover after adjustments as above		<Auto>			
Q	Turnover as declared in Annual Return (GSTR9)					
R	Un-Reconciled turnover (Q - P)		AT1			
6	Reasons for Un - Reconciled difference in Annual Gross Turnover					
A	Reason 1	<<Text>>				
B	Reason 2	<<Text>>				
C	Reason 3	<<Text>>				
7	Reconciliation of Taxable Turnover					
A	Annual turnover after adjustments (from 5P above)		<Auto>			
B	Value of Exempted, Nil Rated, Non-GST supplies, No-Supply turnover					
C	Zero rated supplies without payment of tax					
D	Supplies on which tax is to be paid by the recipient on reverse charge basis					
E	Taxable turnover as per adjustments above (A-B-C-D)		<Auto>			
F	Taxable turnover as per liability declared in Annual Return (GSTR9)					
G	Unreconciled taxable turnover (F-E)		AT 2			
8	Reasons for Un - Reconciled difference in taxable turnover					
A	Reason 1	<<Text>>				
B	Reason 2	<<Text>>				
C	Reason 3	<<Text>>				
Pt. III	Reconciliation of tax paid					
9	Reconciliation of rate wise liability and amount payable thereon					
		Tax payable				
	Description	Taxable Value	Central tax	State tax / UT tax	Integrated Tax	Cess, if applicable
	1	2	3	4	5	6
A	5%					
B	5% (RC)					
C	12%					
D	12% (RC)					
E	18%					
F	18% (RC)					
G	28%					
H	28% (RC)					

I	3%					
J	0.25%					
K	0.10%					
L	Interest					
M	Late Fee					
N	Penalty					
O	Others					
P	Total amount to be paid as per tables above		<Auto>	<Auto>	<Auto>	<Auto>
Q	Total amount paid as declared in Annual Return (GSTR 9)					
R	Un-reconciled payment of amount (PT1)					
10	Reasons for un-reconciled payment of amount					
A	Reason 1		<<Text>>			
B	Reason 2		<<Text>>			
C	Reason 3		<<Text>>			
11	Additional amount payable but not paid (due to reasons specified under Tables 6,8 and 10 above)					
			To be paid through Cash			
	Description	Taxable Value	Central tax	State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	1	2	3	4	5	6
	5%					
	12%					
	18%					
	28%					
	3%					
	0.25%					
	0.10%					
	Interest					
	Late Fee					
	Penalty					
	Others (please specify)					
Pt. IV	Reconciliation of Input Tax Credit (ITC)					
12	Reconciliation of Net Input Tax Credit (ITC)					
A	ITC availed as per audited Annual Financial Statement for the State/ UT (For multi-GSTIN units under same PAN this should be derived from books of accounts)					
B	ITC booked in earlier Financial Years claimed in current Financial Year				(+)	

C	ITC booked in current Financial Year to be claimed in subsequent Financial Years	(-)	
D	ITC availed as per audited financial statements or books of account		<Auto>
E	ITC claimed in Annual Return (GSTR9)		
F	Un-reconciled ITC		ITC 1
13	Reasons for un-reconciled difference in ITC		
A	Reason 1	<<Text>>	
B	Reason 2	<<Text>>	
C	Reason 3	<<Text>>	
14	Reconciliation of ITC declared in Annual Return (GSTR9) with ITC availed on expenses as per audited Annual Financial Statement or books of account		
	Description	Value	Amount of Total ITC
	1	2	3
A	Purchases		
B	Freight / Carriage		
C	Power and Fuel		
D	Imported goods (Including received from SEZs)		
E	Rent and Insurance		
F	Goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples		
G	Royalties		
H	Employees' Cost (Salaries, wages, Bonus etc.)		
I	Conveyance charges		
J	Bank Charges		
K	Entertainment charges		
L	Stationery Expenses (including postage etc.)		
M	Repair and Maintenance		
N	Other Miscellaneous expenses		
O	Capital goods		
P	Any other expense 1		
Q	Any other expense 2		
R	Total amount of eligible ITC availed		<<Auto>>
S	ITC claimed in Annual Return (GSTR9)		
T	Un-reconciled ITC (ITC 2)		
15	Reasons for un - reconciled difference in ITC		
A	Reason 1	<<Text>>	
B	Reason 2	<<Text>>	
C	Reason 3	<<Text>>	

16	Tax payable on un-reconciled difference in ITC (due to reasons specified in 13 and 15 above)					
	Description	Amount Payable				
	Central Tax					
	State/UT Tax					
	Integrated Tax					
	Cess					
	Interest					
	Penalty					
Pt. V	Auditor's recommendation on additional Liability due to non-reconciliation					
			To be paid through Cash			
	Description	Value	Central tax	State tax / UT tax	Integrated tax	Cess, if applicable
	1	2	3	4	5	6
	5%					
	12%					
	18%					
	28%					
	3%					
	0.25%					
	0.10%					
	Input Tax Credit					
	Interest					
	Late Fee					
	Penalty					
	Any other amount paid for supplies not included in Annual Return (GSTR 9)					
	Erroneous refund to be paid back					
	Outstanding demands to be settled					
	Other (Pl. specify)					

Verification:

I hereby solemnly affirm and declare that the information given herein above is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed there from.

** (Signature and stamp/Seal of the Auditor)

Place:

Name of the signatory

Membership No.....

Date:

Full address

Verification of registered person:

I hereby solemnly affirm and declare that I am uploading the reconciliation statement in **FORM GSTR-9C** prepared and duly signed by the Auditor and nothing has been tampered or altered by me in the statement. I am also uploading other statements, as applicable, including financial statement, profit and loss account and balance sheet etc.

Signature

Place:

Date:

Name of Authorized Signatory

Designation/status

Instructions: –

1. Terms used:
(a) GSTIN: Goods and Services Tax Identification Number
2. It is mandatory to file all your **FORM GSTR-1, FORM GSTR-3B and FORM GSTR -9** for the FY 2017-18 before filing this return. The details for the period between July 2017 to March 2018 are to be provided in this statement for the financial year 2017-18. The reconciliation statement is to be filed for every GSTIN separately.
3. The reference to current financial year in this statement is the financial year for which the reconciliation statement is being filed for.
4. Part II consists of reconciliation of the annual turnover declared in the audited Annual Financial Statement with the turnover as declared in the Annual Return furnished in FORM GSTR-9 for this GSTIN. The instructions to fill this part are as follows :-

Table No.	Instructions
5A	The turnover as per the audited Annual Financial Statement shall be declared here. There may be cases where multiple GSTINs (State-wise) registrations exist on the same PAN. This is common for persons / entities with presence over multiple States. Such persons / entities, will have to internally derive their GSTIN wise turnover and declare the same here. This shall include export turnover (if any). It may be noted that reference to audited Annual Financial Statement includes reference to books of accounts in case of persons / entities having presence over multiple States.
5B	Unbilled revenue which was recorded in the books of accounts on the basis of accrual system of accounting in the last financial year and was carried forward to the current financial year shall be declared here. In other words, when GST is payable during the financial year on such revenue (which was recognized earlier), the value of such revenue shall be declared here. (For example, if rupees Ten Crores of unbilled revenue existed for the financial year 2016-17, and during the current financial year, GST was paid on rupees Four Crores of such revenue, then value of rupees Four Crores rupees shall be declared here)
5C	Value of all advances for which GST has been paid but the same has not been recognized as revenue in the audited Annual Financial Statement shall be declared here.

5D	Aggregate value of deemed supplies under Schedule I of the BGST Act, 2017 shall be declared here. Any deemed supply which is already part of the turnover in the audited Annual Financial Statement is not required to be included here.
5E	Aggregate value of credit notes which were issued after 31 st of March for any supply accounted in the current financial year but such credit notes were reflected in the annual return (GSTR-9) shall be declared here.
5F	Trade discounts which are accounted for in the audited Annual Financial Statement but on which GST was leviable (being not permissible) shall be declared here.
5G	Turnover included in the audited Annual Financial Statement for April 2017 to June 2017 shall be declared here.
5H	Unbilled revenue which was recorded in the books of accounts on the basis of accrual system of accounting during the current financial year but GST was not payable on such revenue in the same financial year shall be declared here.
5I	Value of all advances for which GST has not been paid but the same has been recognized as revenue in the audited Annual Financial Statement shall be declared here.
5J	Aggregate value of credit notes which have been accounted for in the audited Annual Financial Statement but were not admissible under Section 34 of the BGST Act shall be declared here.
5K	Aggregate value of all goods supplied by SEZs to DTA units for which the DTA units have filed bill of entry shall be declared here.
5L	There may be cases where registered persons might have opted out of the composition scheme during the current financial year. Their turnover as per the audited Annual Financial Statement would include turnover both as composition taxpayer as well as normal taxpayer. Therefore, the turnover for which GST was paid under the composition scheme shall be declared here.
5M	There may be cases where the taxable value and the invoice value differ due to valuation principles under section 15 of the BGST Act, 2017 and rules thereunder. Therefore, any difference between the turnover reported in the Annual Return (GSTR 9) and turnover reported in the audited Annual Financial Statement due to difference in valuation of supplies shall be declared here.
5N	Any difference between the turnover reported in the Annual Return (GSTR9) and turnover reported in the audited Annual Financial Statement due to foreign exchange fluctuations shall be declared here.
5O	Any difference between the turnover reported in the Annual Return (GSTR9) and turnover reported in the audited Annual Financial Statement due to reasons not listed above shall be declared here.

5Q	Annual turnover as declared in the Annual Return (GSTR 9) shall be declared here. This turnover may be derived from Sr. No. 5N, 10 and 11 of Annual Return (GSTR 9).
6	Reasons for non-reconciliation between the annual turnover declared in the audited Annual Financial Statement and turnover as declared in the Annual Return (GSTR 9) shall be specified here.
7	The table provides for reconciliation of taxable turnover from the audited annual turnover after adjustments with the taxable turnover declared in annual return (GSTR-9).
7A	Annual turnover as derived in Table 5P above would be auto-populated here.
7B	Value of exempted, nil rated, non-GST and no-supply turnover shall be declared here. This shall be reported net of credit notes, debit notes and amendments if any.
7C	Value of zero rated supplies (including supplies to SEZs) on which tax is not paid shall be declared here. This shall be reported net of credit notes, debit notes and amendments if any.
7D	Value of reverse charge supplies on which tax is to be paid by the recipient shall be declared here. This shall be reported net of credit notes, debit notes and amendments if any.
7E	The taxable turnover is derived as the difference between the annual turnover after adjustments declared in Table 7A above and the sum of all supplies (exempted, non-GST, reverse charge etc.) declared in Table 7B, 7C and 7D above.
7F	Taxable turnover as declared in Table (4N – 4G) + (10-11) of the Annual Return (GSTR9) shall be declared here.
8	Reasons for non-reconciliation between adjusted annual taxable turnover as derived from Table 7E above and the taxable turnover declared in Table 7F shall be specified here.

5. Part III consists of reconciliation of the tax payable as per declaration in the reconciliation statement and the actual tax paid as declared in Annual Return (GSTR9). The instructions to fill this part are as follows :-

Table No.	Instructions
9	The table provides for reconciliation of tax paid as per reconciliation statement and amount of tax paid as declared in Annual Return (GSTR 9). Under the head labelled "RC", supplies where tax was paid on reverse charge basis by the recipient (i.e. the person for whom reconciliation statement has been prepared) shall be declared.
9P	The total amount to be paid as per liability declared in Table 9A to 9O is auto populated here.
9Q	The amount payable as declared in Table 9 of the Annual Return (GSTR9) shall be declared here. It should also contain any differential

	tax paid on Table 10 or 11 of the Annual Return (GSTR9).
10	Reasons for non-reconciliation between payable / liability declared in Table 9P above and the amount payable in Table 9Q shall be specified here.
11	Any amount which is payable due to reasons specified under Table 6, 8 and 10 above shall be declared here.

6. Part IV consists of reconciliation of Input Tax Credit (ITC). The instructions to fill Part IV are as under:-

Table No.	Instructions
12A	ITC availed (after reversals) as per the audited Annual Financial Statement shall be declared here. There may be cases where multiple GSTINs (State-wise) registrations exist on the same PAN. This is common for persons / entities with presence over multiple States. Such persons / entities, will have to internally derive their ITC for each individual GSTIN and declare the same here. It may be noted that reference to audited Annual Financial Statement includes reference to books of accounts in case of persons / entities having presence over multiple States.
12B	Any ITC which was booked in the audited Annual Financial Statement of earlier financial year(s) but availed in the ITC ledger in the financial year for which the reconciliation statement is being filed for shall be declared here. This shall include transitional credit which was booked in earlier years but availed during Financial Year 2017-18.
12C	Any ITC which has been booked in the audited Annual Financial Statement of the current financial year but the same has not been credited to the ITC ledger for the said financial year shall be declared here.
12D	ITC availed as per audited Annual Financial Statement or books of accounts as derived from values declared in Table 12A, 12B and 12C above will be auto-populated here.
12E	Net ITC available for utilization as declared in Table 7J of Annual Return (GSTR9) shall be declared here.
13	Reasons for non-reconciliation of ITC as per audited Annual Financial Statement or books of account (Table 12D) and the net ITC (Table 12E) availed in the Annual Return (GSTR9) shall be specified here.
14	This table is for reconciliation of ITC declared in the Annual Return (GSTR9) against the expenses booked in the audited Annual Financial Statement or books of account. The various sub-heads specified under this table are general expenses in the audited Annual Financial Statement or books of account on which ITC may or may not be available. Further, this is only an indicative list of heads under which expenses are generally booked. Taxpayers may add or delete any of these heads but all heads of expenses on which GST has been paid / was payable are to be declared here.

14R	Total ITC declared in Table 14A to 14Q above shall be auto populated here.
14S	Net ITC availed as declared in the Annual Return (GSTR9) shall be declared here. Table 7J of the Annual Return (GSTR9) may be used for filing this Table.
15	Reasons for non-reconciliation between ITC availed on the various expenses declared in Table 14R and ITC declared in Table 14S shall be specified here.
16	Any amount which is payable due to reasons specified in Table 13 and 15 above shall be declared here.

7. Part V consists of the auditor's recommendation on the additional liability to be discharged by the taxpayer due to non-reconciliation of turnover or non-reconciliation of input tax credit. The auditor shall also recommend if there is any other amount to be paid for supplies not included in the Annual Return. Any refund which has been erroneously taken and shall be paid back to the Government shall also be declared in this table. Lastly, any other outstanding demands which is recommended to be settled by the auditor shall be declared in this Table.
8. Towards the end of the return, taxpayers shall be given an option to pay any additional liability declared in this form, through **FORM DRC-03**. Taxpayers shall select "Reconciliation Statement" in the drop down provided in **FORM DRC-03**. It may be noted that such liability shall be paid through electronic cash ledger only.

PART – B- CERTIFICATION

I. Certification in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is drawn up by the person who had conducted the audit

* I/we have examined the—

- (a) balance sheet as on
- (b) the *profit and loss account/income and expenditure account for the period beginning fromto ending on, and
- (c) the cash flow statement for the period beginning fromto ending on,
—attached herewith, of M/s (Name), (Address),
.....(GSTIN).

2. Based on our audit I/we report that the said registered person—

*has maintained the books of accounts, records and documents as required by the IGST/CGST/⟨⟨⟩⟩GST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder

*has not maintained the following accounts/records/documents as required by the IGST/CGST/⟨⟨⟩⟩GST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder:

- 1.
- 2.
- 3.

3. (a) *I/we report the following observations/ comments / discrepancies / inconsistencies;

if any:

.....
.....

3. (b) *I/we further report that, -

- (A) *I/we have obtained all the information and explanations which, to the best of *my/our knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit/ information and explanations which, to the best of *my/our knowledge and belief, were necessary for the purpose of the audit were not provided/partially provided to us.
- (B) In *my/our opinion, proper books of account *have/have not been kept by the registered person so far as appears from *my/ our examination of the books.
- (C) I/we certify that the balance sheet, the *profit and loss/income and expenditure account and the cash flow Statement are *in agreement/not in agreement with the books of account maintained at the Principal place of business atand **additional place of business within the State.

4. The documents required to be furnished under section 35 (5) of the CGST Act/BGST Act and Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the CGST Act/BGST Act is annexed herewith in Form No. GSTR-9C.

5. In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to explanations given to *me/us, the particulars given in the said Form No. GSTR-9C are true and correct subject to following observations/qualifications, if any:

- (a)
- (b)
- (c)

.....
.....

**(Signature and stamp/Seal of the Auditor)

Place:

Name of the signatory

Membership No.....

Date:

Full address

II. Certification in cases where the reconciliation statement (FORM GSTR-9C) is drawn up by a person other than the person who had conducted the audit of the accounts:

*I/we report that the audit of the books of accounts and the financial statements of M/s. (Name and address of the assessee with GSTIN) was conducted by M/s. (full name and address of auditor along with status), bearing membership number in pursuance of the provisions of theAct, and *I/we annex hereto a copy of their audit report dated along with a copy of each of :-

- (a) balance sheet as on
- (b) the *profit and loss account/income and expenditure account for the period beginning fromto ending on,
- (c) the cash flow statement for the period beginning fromto ending on, and
- (d) documents declared by the said Act to be part of, or annexed to, the *profit and loss account/income and expenditure account and balance sheet.

2. I/we report that the said registered person—

*has maintained the books of accounts, records and documents as required by the IGST/CGST/.....GST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder
*has not maintained the following accounts/records/documents as required by the IGST/CGST/.....GST Act, 2017 and the rules/notifications made/issued thereunder:

- 1.
- 2.
- 3.

3. The documents required to be furnished under section 35 (5) of the CGST Act/BGST Act and Reconciliation Statement required to be furnished under section 44(2) of the CGST Act/BGST Act is annexed herewith in Form No.GSTR-9C.

4. In *my/our opinion and to the best of *my/our information and according to examination of books of account including other relevant documents and explanations given to *me/us, the particulars given in the said Form No.9C are true and correct subject to the following observations/qualifications, if any:

(a)

(b)

(c)

.....

*(Signature and stamp/Seal of the Auditor)

Place:

Name of the signatory

Membership No.....

Date:

Full address".

19. In the said rules, after **FORM GST APL-03**, the following form shall be inserted, namely:-

"FORM GST RVN-01

[See rule 109B]

Reference No.

Date -

To,

.....

.....

.....

GSTIN:.....

Order No. -

Date -

Notice under section 108

Whereas it has come to the notice of the undersigned that decision/order passed under this Act/the <<Name of the State>>Goods and Services Tax Act, 2017/ the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017/Union territory Goods and Services Tax Act, 2017/the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 by(Designation of officer)is erroneous in so far as it is prejudicial to the interest of revenue and is illegal or improper or has not taken into account certain material facts, and therefore, I intend to pass an order in revision under section 108 on grounds specified in the document attached herewith.

You are hereby directed to furnish a reply to this notice within seven working days from the date of service of this notice.

☐



You are hereby directed to appear before the undersigned on DD/MM/YYYY

at HH/MM

If you fail to furnish a reply within the stipulated date or fail to appear for personal hearing on the appointed date and time, the case will be decided ex parte on the basis of available records and on merits

Place:

Signature:

Date:

Designation:

Jurisdiction / Office -."

20. In the said rules, for **FORM GST APL-04**, the following form shall be substituted, namely:-

"Form GST APL-04

[See rules 109B, 113 (1) and 115]

SUMMARY OF THE DEMAND AFTER ISSUE OF ORDER BY THE APPELLATE AUTHORITY, REVISIONAL AUTHORITY, TRIBUNAL OR COURT

Reference no. -

Date -

1. GSTIN/ Temporary ID/UIN -
2. Name of the appellant / person -
3. Address of the appellant / person-
4. Order appealed against or intended to be revised - Number- Date-
5. Appeal no. Date-
6. Personal Hearing –
7. Order in brief-
8. Status of order- Confirmed / Modified / Rejected
9. Amount of demand after appeal / revision:

Particulars	Central tax		State / UT tax		Integrated tax		Cess		Total	
	Amount in dispute / earlier order	Determined Amount	Amount in dispute / earlier order	Determined Amount	Amount in dispute / earlier order	Determined Amount	Amount in dispute / earlier order	Determined Amount	Amount in dispute / earlier order	Determined Amount
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
a) Tax										
b) Interest										
c) Penalty										
d) Fees										
e) Others										
f) Refund						;				

10. Place of supply wise details of IGST demand

Place of Supply (Name of State / UT)	Demand	Tax	Interest	Penalty	Other	Total
1	2	3	4	5	6	7
	Amount in dispute / earlier order					
	Determined Amount					

Place:

Date:

Signature:

Name of the Appellate Authority / Revisional
Authority/ Tribunal / Jurisdictional Officer

Designation:

Jurisdiction:”.

21. This notification shall come into force with effect from 31st December, 2018.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-4)37)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima.

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 18 -571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>